रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 2009/भाद्र 14, 1931

No. 290] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2009/BHADRA 14, 1931

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

### (स्वास्थ्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2009

**सं. ए-12011/2/2009/सीएचएस-1.**—मंत्रालयों/संबंधित विभागों, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका की सहमति से निम्नलिखित सेवाओं/पदों में रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2010 में आयोजित की जाने वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के नियम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी ।

(ii) भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद ।

(iii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में कनिष्ठ वेतनमान पद ।

(iv) दिल्ली नगर निगम में चिकित्सा अधिकारी ।

(v) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में सामान्य डयूटी चिकित्सा अधिकारी ।

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा परिशिष्ट-I में निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी ।

परीक्षा की तारीख (तारीखें) और स्थान आयोग द्वारा नियत किए जायेंगे ।

2. उम्मीदवार उपयुक्त सेवाओं/पदों में से किसी एक अथवा एक से अधिक में भाग ले सकते हैं । जो उम्मीदवार परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र में उन सेवाओं/पदों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा जिनके लिए वे वरीयता क्रम में विचार करने के इच्छुक हों । उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जितनी वरीयता चाहें दे सकते हैं जिससे कि नियुक्त करते समय उनकी वरीयता पर उनके रैंक के अनुसार उचित विचार किया जा सके ।

**विशेष ध्यान दें :** (i) रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी के पद के इच्छुक उम्मीदवारों को भी अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र में रेलवे के जोन का विकल्प वरीयता क्रम में देना होगा । विभिन्न रेलवे जोनों में उसका आवंटन करते समय इन वरीयतों को ध्यान में रखा जायेगा लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि उम्मीदवार को केवल इन रेलवे जोनों में से केवल एक ही आवंटित किया जायेगा । चूंकि यह सेवा सारे देश के लिए है इसलिए उम्मीदवार को भारतीय रेल के किसी भी जोन में स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

(ii) उम्मीदवार द्वारा अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र में पहले से दी गई वरीयताओं को बढ़ाने/बदलने के किसी भी अनुरोध को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

3. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जायेगी ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा नियत की गई रिक्तियों के अनुसार आरक्षण किया जायेगा ।

4. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता

उम्मीदवार को या तो :

(1) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(2) नेपाल की प्रजा, या

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या

(9) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(11) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(12) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन किया हो,

(13) ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयास हो या करने के लिए किसी को उकसाया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा, वह अयोग्य ठहराया जा सकता है और/या;

(ख) (1) आयोग द्वारा उनको किसी भी परीक्षा या चयन के लिए;

(2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए;

(ग) स्थायी रूप से या कुछ अवधि के लिए अपवर्जित किया जा सकता है; और अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा ।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जबकि :

(1) उम्मीदवार इस संबंध में जो लिखित अभ्यावेदन देना चाहे उसे प्रस्तुत करने का अवसर उसको न दिया गया हो, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, तो उस पर विचार न कर लिया गया हो ।

12. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा स्वयं अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन जातियों के पर्याप्त उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों या अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है ।

13. (1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा । तत्पश्चात् आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अर्हक अंक (जो बाद में सामान्य अर्हक मानक कहलाएगा) निर्धारित करेगा । आरक्षित रिक्तियों पर अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.वा. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों की अनुशंसित करने के उद्देश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गों के लिए भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग अर्हक मानक में छूट दे सकता है ।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपयोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा ।

(2) सेवा आबंटन के समय, अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जा सकता है यदि इस प्रक्रिया के जरिये वे अपने अधिमान के क्रम में उच्चतर विकल्प की सेवा को प्राप्त करते हैं ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के तहत अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की किसी भी कमी को ध्यान में रखते हुए तथा आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की किसी भी अधिकता के लिए आयोग अर्हक मानकों में और कमी कर सकता है । आयोग उप-नियम (4) एवं (5) में निर्धारित तरीकों से इस बारे में अनुशंसा कर सकता है ।

(4) उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय, आयोग प्रथम दृष्टतया में सभी वर्गों में रिक्तियों की कुल संख्या का ध्यान रखेगा । अनुशंसित उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की संख्या को घटाया जाएगा जिन्होंने उप-नियम (1) के परन्तुक के शर्तों के अनुसार पात्रता या चयन मानदण्ड में

किसी प्रकार की रियायत या छूट प्राप्त किए बिना योग्यता या निर्धारित सामान्य अर्हक मानक से अधिक योग्यता प्राप्त की है । अनुशंसित उम्मीदवारों की इस सूची के साथ-साथ आयोग उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची जारी करेगा जिसमें प्रत्येक वर्गों के अंतर्गत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे योग्यता क्रम में रैंक किए गए सामान्य तथा आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार शामिल होंगे । इस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणियों के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उप-नियम (1) के परन्तुक के अनुसार पहली सूची में पात्रता में या चयन मापदण्ड में बिना किसी छूट या रियायत के शामिल किया गया । आरक्षित वर्गों में से, आरक्षित सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्गों के प्रत्येक उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक वर्गों में प्रारंभिक रूप से कम की गई रिक्तियों की क्रामिक संख्या के बराबर होगी ।

(5) उप-नियम (4) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा वे सेवाएं आबंटित की जाएंगी जहां कुछ रिक्तियों को अभी भी भरा जाना बाकी है । सरकार आरक्षित सूची में से योग्यता क्रम में प्रत्येक वर्ग में भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रयोजन हेतु मांग की गई उम्मीदवारों की संख्या की अनुशंसा करते हुए आयोग को अधियाचना प्रेषित कर सकती है ।

14. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए नियम 12 तथा 13 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंकों में आयोग अपने विवेक से छूट दे सकता है ।

बशर्ते कि जहां एक शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार सामान्य, या अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को, के लिए अपेक्षित संख्या में अपनी योग्यता से न्यूनतम अर्हक को अंक प्राप्त कर ले, तब, शारीरिक रूप से विकलांग अतिरिक्त उम्मीदवारों को, अर्थात् उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में उम्मीदवारों को, आयोग द्वारा शिथिल मानदंडों के आधार पर अनुशंसित नहीं किया जाएगा ।

15. परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को वैयक्तिक रूप से उनका परीक्षा परिणाम किस प्रकार और किस रूप में सूचित किया जाए उसका निर्णय आयोग स्वयं अपने विवेक से करेगा और परीक्षा परिणाम के संबंध में उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

16. इन नियमों में उल्लिखित अन्य उपबंधों के अधीन सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता के क्रम से तैयार की गई सूची और इनके द्वारा अपने आवेदन पत्रों में विभिन्न पदों के लिए बताई गई वरीयता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

17. परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आवश्यक पूछताछ के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववृत के आधार पर उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है । उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए यह भी एक शर्त होगी कि उसके अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हो ।

18. उम्मीदवार को मन और शरीर से स्वस्थ्य होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई भी शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जो उक्त सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करने में बाधक सिद्ध हो सके । सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा में जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसकी नियुक्ति नहीं होगी ।

उम्मीदवारों की शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा से संबंधित विनियम नियमावली के परिशिष्ट-III में दिए गए हैं ।

सभी उम्मीदवार जो परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सामान्यत: संबंधित उम्मीदवार के साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के दिन के तत्काल बाद अगले कार्य दिवस को चिकित्सा परीक्षा करवानी होगी (शनिवार, रविवार व अवकाश के दिनों में चिकित्सा परीक्षा नहीं होगी) । चिकित्सा परीक्षा का प्रबन्ध उम्मीदवार का वक्ष का एक्सरे सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा उम्मीदवार को इसकी सूचना दे दी जाएगी । यदि किसी उम्मीदवार को अपने स्वास्थ्य परीक्षा के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती है तो उसे अपना साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण पूरा होने के तत्काल पश्चात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संबंधित अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहिए । संबंधित उम्मीदवार को अपनी स्वास्थ्य परीक्षा के पूरा होने तक दिल्ली में ठहरना होगा । इसलिए उम्मीदवार को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए तथा स्वास्थ्य परीक्षा की औपचारिकता को पूरा करने के लिए दिल्ली में अपने रहने की व्यवस्था का प्रबंध कर लेना चाहिए । स्वास्थ्य परीक्षा के लिए निर्धारित की गई तारीख को किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया/बदला नहीं जाएगा, इसके साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षा की औपचारिकता को पूरा करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

19. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए । तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी ।

| कोड | शारीरिक अपेक्षाएं |
|---|---|
| (1) | (2) |
| एफ (F) | 1. हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य । |
| पी पी (PP) | 2. खींचकर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य । |
| एल (L) | 3. उठाकर किए जाने वाले कार्य । |
| के सी (KC) | 4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य । |

| (1) | (2) |
|---|---|
| बी (B) | 5. झुककर किए जाने वाले कार्य । |
| एस (S) | 6. बैठकर (बैंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य । |
| एसटी (ST) | 7. खड़े होकर किए जाने वाले कार्य । |
| डब्ल्यू (W) | 8. चलते हुए किए जाने वाले कार्य । |
| एस ई (SE) | 9. देख कर किए जाने वाले कार्य । |
| एच (H) | 10. सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य । |
| आर डब्ल्यू (RW) | 11. पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य । |

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा :—

**कार्यात्मक वर्गीकरण**

| कोड | कार्य |
|---|---|
| बी एल (BL) | 1. दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं । |
| बी ए (BA) | 2. दोनों भुजाएं खराब—क. दुर्बल पहुंच, ख. पकड़ की दुर्बलता । |
| बी एल ए (BLA) | 3. दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब । |
| ओ एल (OL) | 4. एक पैर खराब (दायां या बायां) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. ऐटेक्सिक । |
| ओ ए (OA) | 5. एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) –वही– |
| बी एच (BH) | 6. सख्त पीठ तथा कुल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते) । |
| एम डब्ल्यू (MW) | 7. माँसपेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति । |
| बी (B) | 8. नेत्रहीन । |
| पी बी (PB) | 9. आँशिक नेत्रहीन । |
| डी (D) | 10. बधिर । |
| पी डी (PD) | 11. आँशिक बधिर । |

20. कोई व्यक्ति :—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित है, वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में करार कर लेता है, या

(ख) पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी दूसरे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में करार कर लेता है,

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबद्ध दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के और भी आधार मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

21. इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं/पदों में भर्ती की जानी है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है ।

## परिशिष्ट-I

## परीक्षा की योजना

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग-I—लिखित परीक्षा—(500 अंक) अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए अधिकतम 250 अंक होंगे और प्रत्येक प्रश्नपत्र दो घन्टों की अवधि का होगा ।

भाग-II—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंकों का होगा ।

**(क) लिखित परीक्षा** : दोनों प्रश्नपत्रों के भाग और पाठ्यक्रम तथा दोनों प्रश्नपत्रों में विभिन्न भागों का परिमाण नीचे दिया गया है :—

| | |
|---|---|
| **प्रश्नपत्र-I (कोड नं. 1)** | अधिकतम अंक 250 |
| **(क) सामान्य योग्यता** | 30 प्रश्न |
| **(ख) सामान्य आयुर्विज्ञान** | 70 प्रश्न |
| **(ग) बालरोग विज्ञान** | 20 प्रश्न |

प्रश्नपत्र में कुल प्रश्न 120 (30 सामान्य योग्यता, 70 सामान्य आयुर्विज्ञान तथा 20 बालरोग विज्ञान)

**प्रश्नपत्र-I का पाठ्यक्रम :**

**(क) सामान्य योग्यता :**

(i) भारतीय समाज, धरोहर (हेरिटेज) एवं संस्कृति, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मानव विकास सूचकांक तथा विकास कार्यक्रम;

(ii) प्राकृतिक संसाधन, उनका वितरण, शोषण, संरक्षण तथा संबंधित मुद्दे;

(iii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण की मूल संकल्पनाएं तथा स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव;

(iv) बदलती हुई जनांकिकीय प्रवृतियों का स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा समाज पर प्रभाव;

(v) भारतीय कृषि उद्योग, व्यापार परिवहन तथा सेवा क्षेत्र;

(vi) प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत प्रकोप तथा उनका प्रबंधन;

(vii) खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य वितरण, खाद्य भंडारण तथा लोक स्वास्थ्य में उनकी प्रासंगिकता;

(viii) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अभिनव प्रवृतियां ।

**( ख ) सामान्य आयुर्विज्ञान**

(सामान्य आयुर्विज्ञान जिसमें हृदयरोग विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, त्वचा रोग विज्ञान तथा मनोरोग विज्ञान शामिल है)

(i) हृदय रोग विज्ञान

(ii) श्वसन रोग

(iii) जठरांत्र

(iv) जनन-मूत्रीय

(v) तंत्रिका विज्ञान

(vi) रूधिर रोग विज्ञान

(vii) अंतस्त्राविकी

(viii) चयापचयी विकार

(ix) संक्रमण/संचारी रोग

(क) विषाणुज

(ख) सूखा रोग

(ग) जीवाणुज

(घ) तरंगाणुज (स्पाईरोचीटल)

(ङ) प्रोटोजोआ जनित

(च) उत्तर-जंतु (मेटाजोआन) जनित

(छ) कवक

(x) पोषण/वृद्धि

(xi) चर्म रोग (त्वचा रोग विज्ञान)

(xii) पेशी कंकाल तंत्र

(xiii) मनोरोग चिकित्सा

(xiv) सामान्य

**( ग ) बाल रोग विज्ञान**

**प्रश्न-पत्र-II ( कोड नं. 2 )	अधिकतम अंक 250**

| | |
|---|---|
| **( क ) शल्य चिकित्सा** | **40 प्रश्न** |
| **( ख ) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान** | **40 प्रश्न** |
| **( ग ) निवारक सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान** | **40 प्रश्न** |

प्रश्न-पत्र में कुल प्रश्न—120 (40 शल्य चिकित्सा, 40 प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान, 40 निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान)

**प्रश्न-पत्र-II का पाठ्यक्रम**

**( क ) शल्य चिकित्सा**

(शल्य चिकित्सा जिसमें कान, नाक, गला, नेत्ररोग विज्ञान, अभिघात विज्ञान और अस्थिरोग विज्ञान शामिल)

**I. सामान्य शल्य चिकित्सा**

(i) घाव

(ii) संक्रमण

(iii) अर्बुद

(iv) लस वाहिका

(v) रक्त वाहिका

(vi) गाठ/शिरानाल

(vii) सिर और गर्दन

(viii) वक्ष

(ix) पोषण नाल

(क) ग्रासनली

(ख) उदर

(ग) आंत

(घ) मलद्वार

(ङ) विकासात्मक

(x) यकृत, पित्त, अग्न्याशय

(xi) तिल्ली

(xii) पर्युदर्या

(xiii) उदरीय भित्ति

(xiv) उदरीय घात

II. मूत्ररोग शल्य चिकित्सा

III. तंत्रिका शल्य चिकित्सा

IV. कान-नाक-गला विज्ञान

V. वक्ष शल्य चिकित्सा

VI. अस्थिरोग शल्य चिकित्सा

VII. नेत्र रोग विज्ञान

VIII. संवेदनाहरण विज्ञान

IX. अभिघात विज्ञान

**( ख ) प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान**

**I. प्रसूति विज्ञान**

(i) प्रसवपूर्व अवस्थाएं

(ii) प्रसवकालीन अवस्थाएं

(iii) प्रसवोत्तर अवस्थाएं

(iv) सामान्य प्रसव या जटिल प्रसव का प्रबंधन

**II. स्त्री रोग विज्ञान**

(i) अनुप्रयुक्त शारीरिकी (शरीर रचना विज्ञान) के बारे में प्रश्न

(ii) रजोधर्म तथा गर्भाधान के अनुप्रयुक्त क्रियाविज्ञान के बारे में प्रश्न

(iii) जननांग पथ संक्रमण के बारे में प्रश्न

(iv) जननांग पथ में नियोलाभा के प्रश्न

**III. परिवार नियोजन**

(i) परम्परागत गर्भ निरोधक

(ii) यू. डी. और खाने की गोलियाँ

(iii) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शल्य कर्म प्रक्रिया, बंध्यताकरण और कार्यक्रम आयोजन

(iv) चिकित्सीय गर्भपात

**(ग) निवारक सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान**

I. सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान

II. स्वास्थ्य रोग और निवारक आयुर्विज्ञान की संकल्पना

III. स्वास्थ्य प्रबंधन तथा योजना

IV. सामान्य जानपादिक रोग विज्ञान

V. जनांकिकी और स्वास्थ्य आंकड़े

VI. संचारी रोग

VII. पर्यावरणीय स्वास्थ्य

VIII. पोषण तथा स्वास्थ्य

IX. गैर-संचारी रोग

X. व्यावसायिक स्वास्थ्य

XI. आनुवंशिकी तथा स्वास्थ्य

XII. अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य

XIII. चिकित्सा समाजविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा

XIV. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य

XV. राष्ट्रीय कार्यक्रम

2. दोनों प्रश्नपत्रों की लिखित परीक्षा पूर्णत: वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प उत्तरों सहित) स्वरूप की होगी । प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे ।

3. अभ्यर्थी को प्रश्नपत्र में स्वयं अपने हाथ से उत्तर लिखना होगा । उन्हें किसी भी दशा में उत्तर लिखने के लिए लिपिक की सहायता नहीं लेने दी जाएगी ।

4. परीक्षा के किसी एक या दोनों प्रश्नपत्रों में अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग का विवेकाधिकार होगा ।

5. गलत उत्तरों के लिए दण्ड

**वस्तुपरक प्रश्नपत्र में अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दंडस्वरूप ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे ।**

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं । यदि एक प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से **एक तिहाई (0.33)** अंक दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे ।

(ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिया गया उत्तर ठीक ही क्यों न हो तथा उस प्रश्न के लिए भी दंड यथोपरि ही होगा ।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है अर्थात् अभ्यर्थी उसका कोई उत्तर नहीं देता है तो उसे प्रश्न के लिए दंड नहीं दिया जाएगा ।

6. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है । अत: उनसे अपेक्षा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कैलकुलेटर नहीं लाएं ।

(ख) **व्यक्तित्व परीक्षण—(100 अंक)**—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा । साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंकों का होगा ।

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार को उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान तथा उनके अपने शैक्षिक क्षेत्र में उनकी योग्यता को आंकने के लिए लिखित परीक्षा के पूरक के रूप में माना जाएगा इससे व्यक्तित्व परीक्षण के स्वरूप में अभ्यर्थी की बौद्धिक जिज्ञासा, समामेलन की महत्वपूर्ण योग्यता, निर्णय संतुलन, मानसिक सतर्कता, सामाजिक संशक्ति की योग्यता, चारित्रिक सत्यनिष्ठा, पहलशक्ति तथा नेतृत्व की क्षमता का आकलन भी किया जाएगा ।

## परिशिष्ट-II

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनके संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं :—

### I. रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

(क) "ग्रुप" क में पद-पद का संशोधित वेतन-ढांचा इस प्रकार है : 5400 रु. के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100/- रु. के पे बैण्ड-3 के अतिरिक्त समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार नॉन प्रैक्टिस भत्ता । वर्तमान में, नॉन प्रैक्टिस भत्ते की दर मूल वेतन का 25% है (अर्थात् पे बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में वेतन का पूर्ण योग) बशर्ते कि मूल वेतन तथा नॉन प्रैक्टिस भत्ते का योग 85,000 रु. से अधिक न हो ।"

(ख) उम्मीदवार को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर उम्मीदवार भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पुष्टि हेतु पात्र हो जाएंगे ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय रेल स्थापना कोड, खण्ड-1 के नियम 301(3) की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के कारण सेवा से बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने या मानसिक अथवा शारीरिक अशक्तता के कारण की जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृति के मामलों में नहीं होगी ।

(घ) उम्मीदवार को रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और सभी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा ।

(ङ) उम्मीदवार 1-1-2004 से लागू सरकार के आदेशानुसार अंशदायी पेंशन पद्धति द्वारा नियंत्रित होगा ।

(च) उम्मीदवार उन्हीं के स्तर के अन्य अधिकारियों पर समय-समय पर लागू छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे ।

(छ) उम्मीदवार समय-समय पर प्रवर्तित नियमों के अनुसार सारणी निःशुल्क रेलवे पास और विशेष टिकट आदेशों का अधिकारी होगा ।

(ज) उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और यदि वह परीक्षा पास नहीं करता है तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(झ) नियमानुसार, उपयुक्त पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित होने पर किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें कि प्रशिक्षण पर, व्यतीत अवधि शामिल है :

परन्तु उस व्यक्ति को :—

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ख) सामान्यतः 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा ।

(ञ) संगणीय सेवा-जो व्यक्ति इन नियमों के अधीन उन पदों पर नियुक्त होते हैं जिन पर नियमावली 45 का रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में निर्धारित शर्त लागू होती है, के उस नियम में निहित उपबंधों के लाभ के पात्र होंगे ।

(ट) जो बातें ऊपर विनिर्दिष्ट रूप से कही गई हैं, उनमें और अन्य मामलों में उम्मीदवार भारतीय रेल स्थापना संहिता और समय-समय पर परिशोधित/परिवर्तित नियमों के अधीन कार्य करेगा ।

(ठ) प्रारम्भ में उम्मीदवार को पार्श्वस्थ स्टेशनों के सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी रेलवे में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

(ड) "उच्चतर ग्रेडों से संबद्ध वेतनमान तथा भत्तों सहित पदोन्नति की संभावनाएं रेलवे चिकित्सा सेवा भर्ती नियमावली, 2000 तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगी ।"

(ढ) कर्तव्य और दायित्व ।

**सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी :**

(1) वह प्रतिदिन और आवश्यक होने पर भीतरी वार्डों और बाहरी चिकित्सा विभाग का काम देखेगा ।

(2) वह लागू विनियमों के अनुसार उम्मीदवार और सेवारत कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा करेगा ।

(3) वह अपने अधिकारी क्षेत्र में परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का काम देखेगा ।

(4) वह सामान विक्रेताओं की जांच करेगा ।

(5) वह अस्पताल के कर्मचारियों में अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिए उत्तरदायी होगा ।

(6) वह अपनी विशेषज्ञता से सम्बद्ध कार्य, यदि कोई हो, करेगा और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित विवरणियां और मांग-पत्र तैयार करेगा ।

(7) वह सभी उपस्कारों का रख-रखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेगा ।

**टिप्पणी 1 :** जब सहा. प्र. चि. अ. किसी प्रभाग के मुख्यालय में प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी के प्रभार के अधीन नियुक्त किया जाता है तो वह प्रभागीय चिकित्सा के सभी कर्तव्यों में उसे सहायता देगा किन्तु विशेष रूप से उसको कुछ कार्य और दायित्व भी सौंपे जा सकते हैं ।

**टिप्पणी 2 :** सहा. प्र. चि. अ. को समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य भी निभाने होंगे ।

**II. रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद :—**

(क) पद ग्रुप 'क' में अस्थायी किन्तु यथावधि स्थायी किया जा सकता है । वेतनमान पे. बैंड के पी.बी. 3 में रु. 15,600-39,100 के साथ ग्रेड पे. रु. 5,400 का वेतनमान देय होगा तथा साथ में समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार प्रैक्टिस बंदी भत्ता (प्र. बं. भ.) इस समय दर मूल वेतन का 25 प्रतिशत है ।

(ख) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है । परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से समाप्त करने पर उन्हें स्थायी रिक्ति पर अस्थायी किए जाने पर अस्थाई हैसियत से चलाया जाएगा ।

(ग) उम्मीवार को भारत में कहीं भी किसी आयुध कारखाना, अस्पताल या औषधालय में नियुक्त किया जा सकता है ।

(घ) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करना मना है ।

(ङ) परिवीक्षा की अवधि में और इसके बाद अस्थायी नियुक्ति के दौरान दोनों तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है । सरकार को नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देने का अधिकार होगा ।

(च) उच्चतर ग्रेडों के वेतनमान और भत्तों सहित पदोन्नति के अवसर भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2001 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों के अनुसार होगा ।

(छ) कार्यस्वरूप :–(1) सहायक चिकित्सा अधिकारी :–

(i) वे प्रतिदिन और आवश्यक होने पर अस्पताल के वार्डों/विभागों के अंतरंग रोगियों और औषध लय/बहिरंग विभागों के रोगियों को देखेंगे ।

(ii) वे नियम के अनुसार कर्मचारियों और नौकरी के लिए आने वाले उम्मीदवारों की स्वास्थ्य की परीक्षा करेंगे ।

(iii) वे सभी उपस्करों का रख-रखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेंगे ।

(iv) वे अस्पताल और औषधालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(v) वे नियमानुसार प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य भी करेंगे ।

(2) बी. डी. ओ. ग्रेड-सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी :—

(क) मुख्यालय में पदस्थ स्वास्थ्य सेवा सहायक निदेशक को निदेशक स्वा. से./अपर निदेशक स्वा. से./उप. नि. स्वा. से. को निदेश पर चिकित्सा संबंधी सभी विषयों में कर्तव्य निभाने में उनकी सहायता करेगा ।

(ख) अनुभाग अधिकारी के रूप में चिकित्सा अनुभाग को दैनंदिनी कार्य में वह स्वा. से. नि./अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा./स्वा. स. उ. नि. की सहायता करेगा ।

(ग) समय-समय पर स्व. से. नि./अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा. स्वा. स. उ. नि. द्वारा पौंपे गए दूसरे कार्य भी उसको करने होंगे ।

(घ) चिकित्सा भंडार और उपस्कर से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने में वह स्वा. से. नि. की सहायता करेगा ।

(ङ) नियमानुसार कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा का प्रबंध करेंगे ।

(च) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अन्तरंग वार्डों, फैक्ट्री हैल्थ क्लिनिक, एस्टेट क्लीनिक, ओ. पी. डी. के रोगियों की देखभाल करेंगे तथा ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करेंगे जो उन्हें अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपे जाएंगे ।

(3) उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा और प्रधान चिकित्सा अधिकारी :–

(क) मुख्यालय में पदस्थ स्वा. से. उप-निदेशक/स्वा. से. निदेशक/अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक के द्वारा निर्दिष्ट उनके सभी कार्यों में उसकी सहायता करेगा ।

(ख) प्र. चि. अ. वरिष्ठ-प्र. चि. अ. किसी कारखाना अस्पताल और वहां की चिकित्सा स्थापना का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रहेगा ।

(ग) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के रूप में चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में कारखाना महाप्रबंधक के सलाहकार रहेंगे और आवश्यक अनुशंसा करते रहेंगे ।

(घ) नियमानुसार वे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा का प्रबंध करेंगे ।

(ङ) किसी संविधि या सरकारी आदेश में निहित या स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा सौंपे गए कार्य भी करेंगे ।

(च) प्रधान चिकित्सा अधिकारी अंतरंग वार्डों, फैक्ट्री हैल्थ क्लिनिक, इस्टेट हैल्थ क्लिनिक, ओ. पी. डी. में काम करने के साथ-साथ ऐसे अन्य कार्य भी करेंगे जो उन्हें अस्पताल के प्रभारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी द्वारा सौंपे जाएंगे ।

(4) अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं :—

(क) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा की कार्य करने में, उनके निदेशानुसार उनकी सहायता करेगा ।

(ख) निदेशक स्वास्थ्य सेवा के छुट्टी पर रहने या दौरे आदि पर जाने में उनकी अनुपस्थिति में डी. जी. ओ. अफ. के आदेशानुसार अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, निदेशक स्वास्थ्य रोवा के रूप में कार्य करेंगे ।

(5) मुख्य चिकित्सा अधिकारी :—

(क) उस पर कारखाना स्वास्थ्य संगठन तथा परिवार कल्याण केन्द्र सहित विशेषज्ञता केन्द्रों वाले आयुध कारखाना अस्पतालों के प्रशासन का सम्पूर्ण उत्तदायित्व होगा ।

(ख) महाप्रबन्धक को चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य मामलों पर सलाह देता है ।

(ग) चिकित्सा संस्थापनाओं के कार्यों की योजना बनाता है, कार्यों को सुव्यवस्थित कर मॉनीटर करता है तथा प्रगति की समीक्षा करता है ।

(घ) उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों, अनुदेशों तथा विनियमों के अनुसार अस्पताल-सेवाओं को संगठित करता है ।

(ङ) मरीजों, कारखानों, प्रबन्धकों, वैधानिक प्राधिकारियों तथा समुदाय की व्यक्त एवं अन्तर्निहित आवश्यकताओं और अपेक्षाओं, शिकायतों एवं सुझावों का पता लगाता है तथा जहां कहीं संभव हो, इनकी पूर्ति करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुव्यवस्थित करता है ।

(च) यह सुनिश्चित करता है चिकित्सा संस्थापनाओं को आबंटित सभी संसाधनों का पूर्ण एवं श्रेष्ठतम उपयोग हो तथा कार्य-संचालन में मितव्ययिता अपनाता है ।

(छ) वह ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेंगे जो सरकारी आदेशों की संविधि के अंतर्गत निर्धारित किए गए अथवा डी. एच. एस. द्वारा उसे सौंपे गए हों ।

(6) निदेशक, स्वास्थ्य सेवा :—

(क) चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सभी मामलों में कारखाना महानिदेशक का चिकित्सा सलाहकार-व्यावसायिक और प्राविधिक समस्त मामलों में कारखाना महानिदेशक संगठन की चिकित्सा स्थापना का नियंत्रण प्राधिकारी-कारखाना महानिदेशक द्वारा प्रदत्त सभी प्रशासनिक अधिकारों का वह उपयोग करेगा ।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदनों/अनुशंसाओं का कार्यान्वयन करने के लिए वह योजनाएं तैयार करेंगे ।

(ग) नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में वह आवश्यकतानुसार कारखानों में कर्मचारियों का वितरण करेंगे ।

(घ) संघ लोक सेवा आयोग सामान्यत: कारखाना महानिदेशक का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(ङ) सामान्यत: वर्ष में एक बार वह सभी कारखानों का निरीक्षण करेंगे या करा लेंगे और चिकित्सा स्थापना से संबंधित सभी मामलों में चिकित्सा प्रतिष्ठानों की कार्यविधि के संबंध में कारखाना महानिदेशक को प्रतिवेदन भेजेंगे ।

(च) वे स्वास्थ्य सेवा अपर-निदेशक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखेंगे और भारतीय आयुध कारखाना स्वास्थ्य सेवा के सभी एस. ए. ग्रेड जे. ए. जी. (एन. एफ. एस. जी.) और जे. ए. जी. (ओ. जी.) अधिकारियों की रिपोर्ट का परीक्षण करेंगे ।

## III. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन कनिष्ठ वेतनमान के पद

(क) पद अस्थायी हैं किन्तु अनिश्चितकाल तक चल सकते हैं । उम्मीदवारों को कनिष्ठ ग्रुप 'क' वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा और नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वे परिवीक्षा के अधीन रहेंगे । वह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद उनको स्थायी बनाया जायेगा ।

(ख) उम्मीदवार की केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित किसी भी संगठन के अधीन किसी भी औषधालय या अस्पताल में भारत में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात् दिल्ली, बंगलौर, बम्बई, मेरठ आदि लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, डाक-तार विभाग आदि । प्रयोगशाला और परामर्श सेवा सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस निषिद्ध है ।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के चिकित्सा अधिकारी को पे. बैंड के पी.बी. 3 में रु. 15,600-39,100 के साथ ग्रेड पे. रु. 5,400 का वेतनमान देय होगा । और छठे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश 25% प्रैक्टिस बंदी भत्ता (एन.पी.ए.) देय होगा । अन्य भत्ते और प्रोन्नति के अवसर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 1996 के उपबंध तथा समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों और निर्देशों के अनुसार दिए जाएंगे ।

## IV. चिकित्सा अधिकारी, दिल्ली नगर निगम :—

(1) वर्ग 'क' का उक्त पद अस्थायी है किन्तु यथाशीघ्र स्थायी हो सकता है। वेतनमान पे. बैंड के पी.बी. 3 में रु. 15,600-39,100 के साथ ग्रेड पे. रु. 5,400 का वेतनमान देय होगा । तथा साथ में समय-समय पर लागू आदेशों के अनुसार प्रतिबंधित भत्ता (एन. पी. ए.) ।

(2) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा । यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है । परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक समापन पर वह तब तक अस्थायी पर रहेगा जब तक स्थायी रिक्ति पर स्थायी नहीं किया जाता है ।

(3) उम्मीदवार की नियुक्ति दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कहीं भी किसी अस्पताल/डिस्पैंसरी, मातृ और शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में की जा सकती है ।

(4) किसी भी प्रकार निजी प्रैक्टिस करना मना है ।

(5) परिवीक्षा तथा उसके बाद अस्थायी हैसियत से नियोजन अवधि के दौरान किसी भी तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है । दिल्ली नगर निगम को नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देने का अधिकार है ।

उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की संभावनाएं जिनमें वेतनमान तथा भत्ते सम्मिलित हैं, भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे ।

## V. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी

(क) इस पद के वेतनमान रुपये 8000-275-13500 (पांचवाँ सी. पी. सी.) साथ ही समय-समय पर आदेशानुसार लागू किए गए प्रतिबंधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता शामिल हैं । वर्तमान में दर आहरित मूल वेतन का 25 प्रतिशत साथ ही सामान्य भत्ते शामिल हैं । (परिषद् में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग तथा डायनेमिक ए सी पी योजना के आदेश अभी लागू नहीं हुए हैं) ।

(ख) समय-समय पर परिषद् में लागू किए गए पेंशन, उपदान, स्थायीकरण आदि से संबंधित साधारण नियम लागू होंगे ।

(ग) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर वे स्थायी रिक्ति की पुष्टि होने तक अस्थायी हैसियत से कार्य करते रहेंगे ।

(घ) उम्मीदवार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी अस्पताल/औषधालय/एम. एवं सी. तथा परिवार कल्याण केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस जो कुछ भी हो, प्रतिबंधित है।

(च) परिवीक्षा अवधि तथा उसके बाद की अवधि के दौरान जब आप अस्थाई हैसियत से कार्यरत हों दोनों में से किसी पक्ष की एक महीने की सूचना नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् सूचना (नोटिस) के बदले में एक महीने के वेतन का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(छ) भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार सा. डि. च. आ. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में रु. 10,000-15,200 के वेतनमान में तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी रु. 12,000-16,500 के वेतनमान में तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी रु. 12,000-16,500 के वेतनमान में, से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (नॉन फंक्शनल चयन ग्रेड) रु. 14,300-18,300 के वेतनमान में पदोन्नति के हकदार होंगे। (परिषद् में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग तथा डायनेमिक ए सी पी योजना के आदेश अभी लागू नहीं हुए हैं)।

## परिशिष्ट III

### 1. उम्मीदवारों की शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा से संबंधित नियम

ये नियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए तथा उनके द्वारा अपेक्षित शारीरिक मानदण्डों पर पूरा उतरने की संभावना सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। चिकित्सा परीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश देने हेतु भी नियम विनिर्दिष्ट किए जाते हैं। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले सभी पद समूह ''क'' के अंतर्गत ''तकनीकी'' पद हैं :

2. (क) चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकार या स्वीकार करने संबंधी स्वविवेक का पूर्णाधिकार भारत सरकार के पास आरक्षित है।

(ख) नियुक्ति के लिए ''उपयुक्त'' पाए जाने पर, उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा शारीरिक दोष न हो जोकि उसकी नियुक्ति के बाद उसके कर्त्तव्यों के बेहतर निर्वहन में बाधक बने।

(ग) भारतीय (एंग्लो-इण्डियन सहित) उम्मीदवारों की आयु-सीमा, ऊँचाई, वजन और सीने की चौड़ाई में पारस्परिक संबंध हेतु एवं उम्मीदवारों की परीक्षा में उपयुक्त गाइड के रूप में शारीरिक सौष्ठव क्या हो यह बात चिकित्सा बोर्ड पर निर्भर है। अन्यथा उपयुक्त पाए जाने पर धड़ और शारीरिक अंग अनुपात में होने चाहिए और कम से कम ऊँचाई पर बल नहीं देना है। ऊँचाई, वजन, सीने की चौड़ाई में यदि कोई अनुपात नहीं है तो बोर्ड द्वारा उम्मीदवार को उपयुक्त और अनुपयुक्त घोषित करने से पहले उम्मीदवार को जाँच के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए उसकी छाती का एक्सरे लिया जाना चाहिए।

### 3. उम्मीदवार की ऊँचाई की नाप-तौल निम्नानुसार होगी

उसे अपने जूते खोलने पड़ेंगे और मानक पर दोनों पैर रखकर खड़ा होना होगा और अपनी एड़ी पर ही सारा वजन रखना होगा न कि पंजे या पैर के किसी अन्य भाग पर। वह टेढ़ा-मेढ़ा खड़ा न होकर सीधा खड़ा होगा तथा उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे मानक के साथ सटे हुए होंगे। ठोढ़ी को क्षैतिज रेखा के नीचे सिर के बराबर में लाकर दबाकर रखना होगा और ऊँचाई सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के आधे भाग तक को भी नापते हुए दर्ज करनी होगी।

### 4. उम्मीदवार के सीने की माप निम्नानुसार होगी

उम्मीदवार को इस तरह खड़ा किया जाए कि उनके पैर जुड़े हों और उसकी भुजाएँ उनके सिर के ऊपर उठी हुई हों। फीते को छाती के घेरा पर इस तरह लगाया जाए कि उसका ऊपरी किनारा स्कन्ध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (इनफीरियर एंगल्सि) के पीछे को छूता हो तथा जब फीते को घेरे की ओर ले जाया जाता है तो उम्मीदवार उसी क्षैतिज तल (हरिजेन्टल प्लेन) में रहे। तब दोनों बाहों को नीचे की तरफ ढीला छोड़कर लटका लें और इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि कंधे पीछे की तरफ या बाहर की तरफ न झुकें ताकि फीता न हिले। तब उम्मीदवार को निर्देश दिए जाएं कि वह कई बार गहरी सांस ले और सीने के अधिकतम फैलाव को ध्यानपूर्वक नोट किया जाए तथा न्यूनतम और अधिकतम (फैलाव) को सेंटीमीटर 84-89, 86-93.5 आदि में नोट किया जाए। नोट करते समय एक सेंटीमीटर के आधे से कम सेंटीमीटर के भाग को नोट नहीं किया जाना चाहिए।

**कृपया ध्यान दें**

उम्मीदवार की ऊँचाई और सीना की नाप अंतिम निर्णय लेने से पूर्व दो बार की जानी चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी तोलना होगा और उसका/उसकी वजन किलोग्राम में तोलना होगा, एक किलोग्राम के आधे से कम के भाग को नोट नहीं किया जाना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की दृष्टि की जांच निम्न नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम नोट किया जाएगा।

**(i) सामान्य**

उम्मीदवार को आँखों की सामान्य जाँच हेतु निदेशित किया जाएगा ताकि किसी भी बीमारी या असामान्यता का पता चल सके। उम्मीदवार को अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि वह आँख (आँखों),

पलकों की या इसी तरह की किसी अन्य संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो, जो उसे अयोग्य या भविष्य में सेवा के अयोग्य कर दे ।

**(ii) दृष्टि तीक्ष्णता :**

दृष्टि की तीक्ष्णता के निर्धारण के लिए जाँच में दो परीक्षण शामिल हैं—एक दूर दृष्टि तथा दूसरा निकट दृष्टि के लिए । प्रत्येक आँख की अलग-अलग जाँच की जाएगी ।

(ख) नंगी आँख की दृष्टि की कोई सीमा नहीं है तथापि, उम्मीदवार की नंगी आँख की दृष्टि को हर मामले में चिकित्सा बोर्ड या अन्य चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा नोट किया जाएगा क्योंकि इससे आँख की दशा के संबंध में मूल सूचना मिलेगी ।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

**सेवा का वर्गीकरण**

| | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (तकनीकी) | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अलावा अन्य सेवाएं (तकनीकी) | | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वस्थ आँख | रुग्ण आँख | स्वस्थ आँख (उपचार के बाद दृष्टि) | रुग्ण आँख |
| 1. दूर की दृष्टि | ±4D 6/9 या 6/6 तक चश्मा लगाए या बिना चश्मा लगाए | ±4 6/6 या 6/12 चश्मा लगाए या बिना चश्मा लगाए | 6/6 या 6/9 | 6/12, 6/18 या शून्य |
| 2. निकट की दृष्टि | ±4D जे-1 चश्मा लगाए या बिना चश्मा लगाए | ±4D जे-2 चश्मा लगाए या बिना चश्मा लगाए | जे-1, जे-2 | जे-2, जे-3 या कुछ नहीं |
| 3. उपचार के प्रकार की अनुमति | चश्मा, आई ओ एल/कोर्नियल शल्य क्रियाएं (लासिक, एक्साइमर शल्य क्रियाएं आदि) की अनुमति दी जा सकती है। दृष्टि स्थायी होनी चाहिए और अपेक्षित मानदण्ड के अनुसार होनी चाहिए । नेत्र बोर्ड को योग्यता स्पष्ट करनी होगी । | | चश्मा, आई ओ एल, लासिक लेजर शल्य क्रियाएं | |
| 4. अपवर्तन त्रुटि की सीमाओं की अनुमति | ±4.00 डी वे मामले, जहाँ लैंसों की पावर >-4 डी है, एक विशेष नेत्र चिकित्सा बोर्ड को विकृति विज्ञान संबंधी निकट दृष्टि के नियमों के तहत मामले को स्पष्ट करना होगा । | | फंडस सामान्य और बिना विकृति विज्ञान संबंधी निकट दृष्टि के हैं । | |
| 5. रंग दृष्टि अपेक्षाएं | उच्चतर श्रेणी रंग बोध (इशिहारा परीक्षण-ई जी एल-13 एम एम रन्ध्र) | | कम श्रेणी की रंग दृष्टि स्वीकार्य है । | |
| 6. क्या द्विनेत्री दृष्टि आवश्यक है | भैंगेपन के मामले में द्विनेत्री दृष्टि आवश्यक है । योग्य व्यक्तियों के मामले में नेत्र चिकित्सा बोर्ड को मामला दर मामला आधार पर मामले निपटाएं । | | नहीं | |

(घ) (i) उपर्युक्त दर्शायी गई तकनीकी सेवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित किसी अन्य सेवा के संबंध में, निकट दृष्टि (सिलेंडर सहित) का परिमाण -4.00 डी से अधिक न हो। हाइपरमैट्रोपिया (सिलेंडर सहित) का परिमाण +4.00 डी से अधिक न हो :

बशर्ते, रेल मंत्रालय के अंतर्गत सेवाओं के अलावा अन्य "तकनीकी" सेवाओं के संबंध में अभ्यर्थी के मामले में, उच्च निकट दृष्टि के आधार पर अनुपयुक्त पाया जाता है, तो मामला तीन नेत्र विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजना होगा ताकि यह जाना जा सके कि यह निकट दृष्टि विकृति विज्ञान संबंधी है या नहीं। यदि यह विकृति विज्ञान संबंधी है तो उम्मीदवार को उपयुक्त घोषित किया जाना चाहिए बशर्ते कि वह अन्य दृष्टि अपेक्षाओं को पूरा करता/करती हो।

(ii) निकट दृष्टि के प्रत्येक मामले में, फंडस जाँच की जानी चाहिए और परिणाम नोट कर लेना चाहिए। मौजूदा रोग की स्थिति जिसके बढ़ने की संभावना हो और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालें तो उसे अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाना चाहिए।

**(ङ) दृष्टि का क्षेत्र :**

मिलान पद्धति (CONFRONTATION METHOD) द्वारा जाँच की जाने वाली सभी सेवाओं के संबंध में, दृष्टि के क्षेत्र की जाँच की जाएगी। जब ऐसे परीक्षणों से असंतोषजनक या संदेहपूर्ण परिणाम निकले, तो दृष्टि क्षेत्र पेरिमीटर द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए।

**(च) रतौंधी :**

मौटे तौर पर, रतौंधी दो प्रकार की होती है : (i) विटामिन ए की कमी के परिणामस्वरूप और (ii) रेटिनार्कोमन की आर्गेनिक बीमारी के परिणामस्वरूप—रेटिनिटिस पिगमेन्टोसा (i) में, फंडस सामान्य होता है। सामान्यतया युवा वर्ग और कुपोषण ग्रस्त व्यक्तियों में होता है और विटामिन ए की अधिक मात्रा दिए जाने से लाभ होता है। अक्सर फण्डस पाए जाते हैं, और केवल फंडस की जाँच करने पर अधिकांश मामलों में स्थिति का पता चल जाएगा। इस श्रेणी के मरीज वयस्क हैं और वे कुपोषण ग्रस्त न हों। (i) और (ii) दोनों के लिए डार्क एडाप्टेशन परीक्षण से स्थिति का पता चल जाएगा।

**(छ) रंग दृष्टि :**

रंग दृष्टि की जाँच उपर्युक्त दर्शायी गई तकनीकी सेवाओं के संबंध में आवश्यक होगी।

नीचे की सारणी में दर्शाए गए अनुसार, चित्रदर्शी (लालटेन) में द्वारक की आकृति पर आधारित उच्च और निम्न वर्ग में रंग बोध को वर्गीकृत किया जाना चाहिए :—

| वर्गीकरण (ग्रेड) | उच्च वर्ग रंग बोध | निम्न वर्ग रंग बोध |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी | 16 फीट | 16 फीट |
| 2. द्वारक का आकार | 1.3 मि. मी. | 13 मि. मी. |
| 3. उद्भाषण काल | 5 सेकिंड | 5 सेकिंड |

भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के लिए, उच्चतर वर्ग रंग दृष्टि आवश्यक है लेकिन अन्य सेवाओं के लिए निम्न वर्ग रंग दृष्टि पर विचार करना ही पर्याप्त होगा।

संतोषजनक रंग दृष्टि से अभिप्राय लाल, हरे और पीले रंग के संकेतकों को आसानी से और बिना किसी हिचकिचाहट के पहचानना है। अच्छी रोशनी में प्रदर्शित इशिहारा की प्लेटें और इरिज ग्रीन लेंटर्न का उपयोग रंग दृष्टि की जाँच के लिए पूर्णरूपेण विश्वसनीय है। भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अलावा अन्य सेवाओं के संबंध में, दोनों परीक्षणों में केवल एक पर विचार करना ही उपयुक्त होगा। आई आर एम एस के लिए लेंटर्न टैस्ट आवश्यक है। संदेहास्पद मामलों में, जहां उम्मीदवार एक टैस्ट पास करने में असफल रहते हैं, दोनों ही परीक्षण किए जाने चाहिएं। तथापि, भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा में नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की रंग दृष्टि की जांच के लिए इशिहारा की प्लेटों और इरिज ग्रीन लेंटर्न दोनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

**(ज) दृष्टि तीक्ष्णता के अलावा नेत्र स्थिति :**

(i) कोई भी कायिक बीमारी या प्रभावी अपवर्तन त्रुटि, जिससे दृष्टि तीक्ष्णता में कमी होने की संभावना हो, को अयोग्यता माना जाना चाहिए।

(ii) भैंगापन.—भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा हेतु, जहां द्विनेत्र दृष्टि आवश्यकता होती हो, प्रत्येक आँख की दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानदण्ड की होने पर भी, यदि कोई भैंगापन है तो उसे अयोग्यता माना जाना चाहिए। अन्य सेवाओं के लिए, यदि दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की हो तो भैंगापन अयोग्य नहीं माना जाना चाहिए।

(iii) यदि किसी व्यक्ति की एक आँख है या उसकी एक आँख सामान्य दृष्टि वाली है दूसरी आँख मंददृष्टि वाली है या असामान्य दृष्टि वाली है, तो सामान्य प्रभाव यह है कि गहराई के दृष्टिकोण से उसकी स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि में कमी है। ऐसी दृष्टि भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के अलावा अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता नहीं है। चिकित्सा बोर्ड को उसे उपयुक्त होने की सिफारिश करनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की सामान्य आँख निम्नानुसार हो :—

चश्मा के और बिना चश्मा के 6/6 दूर की दृष्टि, जे 1 पास की दृष्टि हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी भी शिरोबिन्दु में कमी 4 डायोप्टर्स से अधिक न हो।

दृष्टि का पूरा क्षेत्र

सामान्य रंग दृष्टि जहाँ अपेक्षित हो :

बशर्ते कि बोर्ड संतुष्ट हो कि उम्मीदवार विशिष्ट कार्य से संबंधित सभी कार्य निष्पादित कर सकता है।

(iv) **कॉन्टेक्ट लैंस :**

उम्मीदवारों के चिकित्सा परीक्षण के दौरान, कॉन्टेक्ट लैंसों की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आवश्यक है

कि आँख का परीक्षण करते समय, दूर की दृष्टि के लिए टाइप किए गए अक्षरों की चमक 15 फुट की मोमबत्तियों की चमक में होनी चाहिए ।

**विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड के लिए दिशा-निर्देश :**

नेत्र परीक्षण के लिए विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड में 3 नेत्र विज्ञानी शामिल होंगे :—

(क) उन मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड ने सामान्य निर्धारित सीमाओं के भीतर दृष्टि कार्यकलाप रिकार्ड किया है लेकिन यह संदेह है कि कोई ऐसा कायिक और बढ़ने वाला रोग है जो दृष्टि कार्यकलाप को नष्ट कर सकता तो उम्मीदवारों को प्रथम चिकित्सा बोर्ड के भाग के रूप में विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड की राय के लिए भेजना चाहिए ।

(ख) आँखों की शल्य क्रिया से संबंधित सभी प्रकार के मामले आई ओ एल, रिफ्रेक्टिव कार्निएल शल्य चिकित्सा, रंग दोष से संबंधित सभी मामले विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड को भेजना चाहिए ।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां किसी उम्मीदवारों में उच्च निकट दृष्टिता या उच्च हाइपर मेट्रोपिया पाया जाता है तो केन्द्रीय स्थाई चिकित्सा बोर्ड/राज्य चिकित्सा बोर्ड को चाहिए कि वह उम्मीदवार को शीघ्र ही अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा गठित तीन नेत्र विज्ञानियों के विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड के पास भेजे जिसमें विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष या वरिष्ठतम नेत्र विज्ञानी हो । नेत्र विज्ञानी/चिकित्सा अधिकारी जिसने प्रारंभ में, आँखों का परीक्षण किया है, विशेष बोर्ड का भाग नहीं हो सकता है ।

विशेष बोर्ड द्वारा परीक्षण वरीयता उसी दिन किया जाना चाहिए । जब कभी केन्द्रीय स्थायी बोर्ड/राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा तीन नेत्र विज्ञानियों का विशेष बोर्ड चिकित्सा परीक्षा के दिन बनाया जाना संभव न हो, तो विशेष बोर्ड शीघ्रातिशीघ्र संभाव्य तारीख को बनाया जाये ।

विशेष नेत्र विज्ञान बोर्ड को अपने निर्णय पर पहुँचने से पूर्व विस्तृत जांच-परख कर लेना चाहिए ।

चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती जब तक कि इसमें विशेष चिकित्सा बोर्ड को भेजे गए सभी मामलों से संबंधित रिपोर्टें शामिल नहीं कर ली जाती ।

**बार्डर लाइन अनुपयुक्त मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए दिशा-निर्देश :**

अव-मानक दृष्टि तीक्ष्णता अवसामान्य रंग दृष्टि के बार्डर लाइन मामलों में, व्यक्ति को अनुपयुक्त घोषित किए जाने से पूर्व बोर्ड 15 मिनट बाद पुन: जाँच करेगा ।

**7. रक्त चाप :**

बोर्ड रक्त चाप के संबंध में अपने विवेक का उपयोग कर सकेगा । सामान्य अधिकतम प्रकुंचन (सिकुड़ना-फूलना) दबाव नापने का सामान्य तरीका निम्नानुसार है :—

(i) 15-25 वर्ष आयु के युवा लोगों के साथ, औसत 100 प्लस आयु है ।

(ii) 25 वर्ष के ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में रक्तदाब के आकलन में 110 प्लस आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

**कृपया ध्यान दें :**—सामान्य नियम के रूप में 140 एम. एम. के ऊपर सिस्टालिक प्रेशर (दाब) और 90 एम. एम. के ऊपर डास्टालिक प्रेशर (दाब) को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के संबंध में बोर्ड द्वारा अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह भी पता लगना चाहिए कि उत्तेजना आदि के कारण रक्तदाब थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक बीमारी है । ऐसे सभी मामले में हृदय का एक्सरे तथा विद्युत हृदयलेखी (इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफिक) परीक्षा तथा रक्त यूरिया उत्सर्जन परीक्षण भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए । तथापि, उम्मीदवार के योग्य होने या अयोग्य होने के बारे में अंतिम निर्णय चिकित्सा बोर्ड का होगा ।

**रक्तचाप लेने का तरीका :**

नियमानुसार पारद दाबस्तरमापी (मरकरी मैनोमीटर) किस्म के उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए । किसी प्रकार के व्यायाम या उत्तेजना के पद्रंह मिनट के भीतर रक्तदाब की माप नहीं की जानी चाहिए । बशर्ते कि रोगी लेटा या बैठा हो और विशेषकर उसकी बांह शिथिल हो तथा बांह आरामदायक स्थिति में रोगी की तरफ थोड़ी बहुत क्षैतिज स्थिति में हो । बांह से कंधा तक कपड़ा उतार दिया जाना चाहिए । कफ से हवा पूरी तरह निकाल कर रबड़ को भुजाओं के अंदरूनी हिस्से के ऊपर रखकर तथा उसके निचले किनारों को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी के छोर को ऊपर से समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि वात्प्रधन (इनफ्लेशन) के दौरान उभार को रोका जा सके ।

कोहनी के मोड़ पर धड़कन द्वारा प्रगण्ड धमनी (ब्रेकियल आर्टरी) का पता लगाया जाता है और तब उसके ऊपर बीचों-बीच (स्टेथोस्कोप) को इल्के से लगाया जाता है जिसका कफ के साथ संपर्क न हो । कफ में लगभग 200 एम. एम. एच. जी. हवा भरी जाती है तथा तब उनमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । जिस स्तर पर कॉलम टिका होता और जब हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ी है वह प्रकुंचन दाब (सिस्टॉलिक प्रेशर) होता है । जब ज्यादा मात्रा में हवा निकलने दिया जाता है और ध्वनि सुनाई देती है और जिसके घनत्व में वृद्धि होती है । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई देने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई लुप्त हो जाएं तो यह अननुशिथिलन दाब (डायस्टालिक प्रेशर) है । रक्तदाब की माप काफी थोड़ी समयावधि में लेना चाहिए क्योंकि कफ के लंबे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होगी । यदि दोबारा जांच करनी जरूरी है तो कफ से हवा पूरी तरह निकालकर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए । कभी-कभी कफ से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर यह

गायब हो सकती हैं तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो सकती है । इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है ।

8. मूत्र (परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र त्याग) की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जहां सामान्य रासायनिक परीक्षण द्वारा चिकित्सा बोर्ड को उम्मीदवार के मूत्र में शक्कर का पता चलता है, बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा तथा मधुमेह के किसी चिन्हों या लक्षणों के सुझाव हेतु विशेष रूप से भी नोट करेगा । यदि शर्करामेह (ग्लाइकोसरिया) के अलावा बोर्ड यह पाता है कि उम्मीदवार अपेक्षित चिकित्सा स्वास्थ्यता मानक को सुनिश्चित करता है तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ योग्य घोषित कर सकता है कि उम्मीदवार शर्करामेह अमधुमेही है तथा बोर्ड इस मामले को किसी निर्दिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल तथा प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । चिकित्सा विशेषज्ञ मानक रक्तशर्करा टालरेन्स परीक्षण सहित जो भी आवश्यक समझें नैदानिक और/या प्रयोगशाला परीक्षा करेगा तथा अपनी राय चिकित्सा बोर्ड को भेजेगा, जिस पर चिकित्सा बोर्ड की अंतिम राय-''योग्य'' या ''अयोग्य'' आधारित होगी । इस उद्देश्य के लिए, उम्मीदवार को दूसरे अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ेगा । औषधि के प्रभाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार को अस्पताल में सक्त पर्यवेक्षण में कई दिनों तक रखा जाए ।

9. **उन पदों पर नियुक्ति जिनके लिए कोई विस्तृत प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है** :—यदि चिकित्सा परीक्षा के दौरान कोई महिला उम्मीदवार गर्भवती पाई जाती है तो उसके ''अस्थायी रूप से अयोग्य'' अधिक समय तक घोषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उन पदों पर नियुक्ति जिनके लिए कोई विस्तृत प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है अर्थात् उन्हें नौकरी पर सीधे नियुक्त किया जा सकता है ।

10. **निम्नलिखित अतिरिक्त बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना चाहिए** :—

(क) उम्मीदवारों के प्रत्येक कान से अच्छा सुनाई पड़ता हो तथा कान में किसी बीमारी के चिन्ह न हो । यदि उम्मीदवार के कान में खराबी हो तो उनका इलाज किसी कान, नाक एवं गला विशेषज्ञ से कराना चाहिए । बशर्ते कि यदि श्रवण की खराबी को शल्यक्रिया द्वारा या श्रवण यंत्र लगाकर उस खराबी को दूर किया जाए तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए बशर्ते कि उम्मीदवार के कान में कोई बढ़ने वाली बीमारी न हो । भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के मामले में यह उपबंध लागू नहीं है । इस संबंध में चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

| | | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (तकनीकी) | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अलावा अन्य सेवाएं (तकनीकी) |
|---|---|---|---|
| 1. | एक कान में प्रकट या पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य | अयोग्य | योग्य, यदि उच्च आवृत्ति में बहरापन 30 डेसीबल तक हो । |
| 2. | दोनों कानों में बोधी बहरापन जिसमें श्रवण यंत्र द्वारा कुछ सुधार संभव है । | योग्य, 1000-4000 के स्वर आवृत्ति में यदि बहरापन 30 डेसीबल तक हो । | योग्य, 1000-4000 के स्वर आवृत्ति में यदि बहरापन 30 डेसीबल तक हो । |
| 3. | सेन्ट्रल या मार्जिनल टाईप के कर्णपटह (टिम्पेनिक मेम्ब्रेन) छिद्र | (i) एक कान सामान्य, दूसरे कान में कर्णपटह (टिम्पेनिक मेम्ब्रेन) छिद्र–''अस्थायी रूप से अयोग्य'' । | (i) एक कान से सामान्य, दूसरे कान में कर्णपटह (टिम्पेनिक मेम्ब्रेन) छिद्र–''अस्थायी रूप से अयोग्य'' । |
| | | कर्ण शल्य चिकित्सा द्वारा स्थिति में सुधार के अंतर्गत दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए तथा उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (ii) के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। | कर्ण शल्य चिकित्सा द्वारा स्थिति में सुधार के अंतर्गत दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से आयोग्य घोषित किए जाने के लिए मौका दिया जाना चाहिए तथा उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (ii) के अंतर्गत विचार किया जा सकता है । |
| | | (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या अधिमध्यकर्ण (एटिक) छिद्र–''अयोग्य'' । | (ii) दोनों कानों में कम से कम मार्जिनल या अधिमध्यकर्ण (एटिक) छिद्र–''अयोग्य'' । |
| | | (iii) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र–''अस्थायी रूप से अयोग्य'' । | (iii) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र ''अस्थायी रूप से अयोग्य'' । |
| 4. | कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी) सहित कान एक तरफ/दोनों तरफ अपसामान्य श्रवण | (i) एक कान से सामान्य श्रवण तथा दूसरे कान में कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी)–''योग्य'' । | (i) एक कान से सामान्य श्रवण तथा दूसरे कान में कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी)–''योग्य'' । |
| | | (ii) दोनों तरफ कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी)–''अयोग्य'' । | (ii) दोनों तरफ कर्णमूल गुहा (मस्टायड कैविटी)–''अयोग्य'' । |

| | | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (तकनीकी) | भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अलावा अन्य सेवाएं (तकनीकी) |
|---|---|---|---|
| 5. | लगातार बहते रहने वाला कान शल्य क्रिया सम्पन्न/शल्य क्रिया असम्पन्न । | "अस्थायी रूप से अयोग्य" । | "अस्थायी रूप से अयोग्य" । |
| 6. | नासापट (नेसल सेप्टम) की अस्थि विरूपता सहित या रहित नाक की चिरकारी शोथ (क्रानिक इनफ्लेमेटरी/प्रव्यूर्जता (ऐलजीक) अवस्था। | (i) व्यक्तिगत मामलों की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा । (ii) यदि लक्षणों सहित नासापट (नेसल सेप्टम में विचलन विद्यमान हो "अस्थायी रूप से अयोग्य" । | (i) व्यक्तिगत मामलों की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा । (ii) यदि लक्षणों सहित नासापट (नेसल सेप्टम) में विचलन विद्यमान हो "अस्थायी रूप से अयोग्य"। |
| 7. | गलतुण्डिका (टॉसिल) और/या स्वरयंत्र (लैरिक्स) की चिरकारी शोथ (क्रानिक इनफ्लेमेटरी) अवस्था । | (i) गलतुण्डिका (टॉसिल) और/या स्वरयंत्र (लैरिक्स) की चिरकारी शोथ (क्रानिक इनफ्लेमेटरी) अवस्था "योग्य" । (ii) यदि आवाज में बहुत अधिक मात्रा में स्वररक्षिता (हार्सनेस) मौजूद हो तो "अस्थायी रूप से अयोग्य" । | (i) गलतुण्डिका (टॉसिल) और/या स्वरयंत्र (लैरिक्स) की चिरकारी शोथ (क्रानिक इनफ्लेमेटरी) अवस्था "योग्य" । (ii) यदि आवाज में बहुत अधिक मात्रा में स्वररक्षिता (हार्सनेस) मौजूद हो तो "अस्थायी रूप से अयोग्य" । |
| 8. | कान, नाक एवं गला का सुदम्य या स्थानिक दुर्दम अर्बुद (ट्यूमर) | (i) सुदम्य अर्बुद "अस्थायी रूप से अयोग्य"। (ii) दुर्दम अर्बुद–"अयोग्य" । | (i) सुदम्य अर्बुद "अस्थायी रूप से अयोग्य" । (ii) अर्बुद–"अयोग्य" । |
| 9. | कर्णगहन सम्पुट काटिन्य (ओटोस्कलेरोसिस) | शल्य क्रिया के बाद या श्रवण यंत्र की मदद से यदि श्रवण 30 डेसीबल के भीतर हो–"योग्य"। | शल्य क्रिया के बाद या श्रवण यंत्र की मदद से यदि श्रवण 30 डेसीबल के भीतर हो–"योग्य" । |
| 10. | कान, नाक या गला का जन्मजात दोष | (i) यदि कार्य में बाधक न हो "योग्य" । (ii) बहुत अधिक मात्रा में हकलाहट "अयोग्य" । | (i) यदि कार्य में बाधक न हो "योग्य" । |
| 11. | नासा/बहु (पॉली) | "अस्थायी रूप से अयोग्य" । | "अस्थायी रूप से अयोग्य" । |

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो;

(ग) उम्मीदवार के दांत अच्छी हालत में हैं तथा जहां आवश्यक है चबाने के लिए कृत्रिम दंतावली लगी है (पूरे भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा);

(घ) उम्मीदवार की छाती की बनावट अच्छी है और उसकी छाती का फैलाव अच्छी तरह है तथा उसका हृदय या फेफड़े ठीक हैं;

(ङ) उम्मीदवार को पेट की बीमारी के कोई प्रमाण नहीं हैं;

(च) उम्मीदवार के कर्णपटह में विदार (रप्चर) नहीं है;

(छ) उम्मीदवार हाइड्रोसील, अपस्फीती शिरा (वेरीकोशवेन) बवासीर से पीड़ित नहीं है;

(ज) उम्मीदवार के अंग, हाथ तथा पैर की बनावट अच्छी तथा विकसित है तथा सभी संधियाँ (जोड़) मुक्त तथा पूर्ण गतिशील हैं;

(झ) उम्मीदवार को कोई चिरकालिक चर्म रोग नहीं है;

(ञ) उम्मीदवार में जन्मजात कोई कुरचना या दोष नहीं है;

(ट) उम्मीदवार में किसी तीव्र या चिरकालिक बीमारी के लक्षण नहीं हैं जो उसके कमजोर गठन को इंगित करते हों;

(ठ) उम्मीदवार को किसी प्रकार के कारगर टीके का निशान है ।

(ड) उम्मीदवार को किसी प्रकार का संचारी रोग नहीं है ।

11. हृदय तथा फेफड़ों की किसी भी प्रकार की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए सभी मामलों में छाती का रेडियोग्राफी परीक्षण नेमी तौर पर किया जाना चाहिए, उन उम्मीदवारों को केवल साधारण शारीरिक परीक्षा के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए जिन्हें सम्मिलित चिकित्सा परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है ।

उम्मीदवार की चिकित्सा अरोग्यता के बारे में केन्द्रीय स्थायी चिकित्सा बोर्ड (संबंधित उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा करने वाले) के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा ।

3248 GI/09-3

# विस्तृत आवेदन प्रपत्र

## *Detailed Application Form*

# सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2010

## *Combined Medical Services Examination, 2010*

महत्वपूर्ण

**Important**

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 5 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा की नियमावली जिसमें पात्रता की शर्तों आदि का उल्लेख है, को सावधानी से पढ़ लें।

1. **Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 5th September, 2009.**

2. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-प्रपत्र के सभी कॉलम अपने हाथ से स्याही से या बॉल प्वाइंट पेन से ठीक प्रकार से भर दिए गए हैं। आवेदन-प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन संबंधी उम्मीदवारों के पत्राचार पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

2. **Candidates should ensure that all columns of the Application Form are filled in correctly in their own hand in ink or with Ball Point Pen. No correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form.**

3. शैक्षिक योग्यता, आयु, जाति इत्यादि से संबंधित सभी संगत संलग्नक प्रपत्र के साथ लगा दिए जायें।

3. **All relevant enclosures relating to educational qualifications, age, community etc. should be enclosed with the Form.**

4. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन प्रपत्र अग्रसारण पत्र में विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख तक या उससे पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को पहुंच जाना चाहिए।

आवेदन प्रपत्र के लिफाफे पर "सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2010 के लिए आवेदन प्रपत्र" लिखें। आवेदन प्रपत्र संघ लोक सेवा आयोग के काउण्टर पर दस्ती रूप से भी जमा किया जा सकता है। आयोग के किसी अन्य पदाधिकारी को जमा कराने के लिए दिए गए आवेदन प्रपत्रों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

4. **The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi–110069 on or before the date specified in the forwarding letter.**

**The envelope containing the application should be superscribed "Application for Combined Medical Services Examination, 2010". Application can also be delivered at Union Public Service Commission counter by hand. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.**

5. उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि के संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में गेट सी के निकट सुविधा काउण्टर पर स्वयं आकर या दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर कार्य-दिवसों में प्रात: 10.00 से सायं 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने साक्षात्कार कार्यक्रम, परिणाम आदि के विषय में आयोग के वेबसाईट (Website) http://www.upsc.gov.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. **In case of any guidance/information/clarification regarding their applications, candidature etc. candidates can contact UPSC's Facilitation Counter near Gate 'C' of its campus in person or over Telephone No. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 on working days between 10.00 hrs. and 17.00 hrs. CANDIDATES CAN ALSO OBTAIN INFORMATION ABOUT THEIR INTERVIEW PROGRAMME, RESULTS ETC. ON THE COMMISSION'S WEBSITE AT THE ADDRESS :— http://www.upsc.gov.in**

6. संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवनों के परिसर में मोबाइल फोन वर्जित है।

6. **Mobile phones are banned in the Campus of UPSC Examination Halls.**

## संघ लोक सेवा आयोग

## सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2010

## उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में निर्देश

1. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे आवेदन-प्रपत्र भरने से पहले इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

2. भरा हुआ आवेदन प्रपत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली-110069, को अग्रेषित पत्र में विनिर्दिष्ट तारीख तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।

3. आवेदन प्रपत्र के लिफाफे पर "सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2010 के लिए आवेदन-प्रपत्र" लिखा हो। आवेदन-प्रपत्र संघ लोक सेवा आयोग के काउण्टर पर स्वयं या किसी के हाथ भेजकर भी जमा कराए जा सकते हैं। आयोग के किसी अन्य कर्मचारी को दिए गए आवेदन-प्रपत्र के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 5 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा की नियमावली (प्रति संलग्न) को सावधानी के साथ पढ़ लें। इस नोटिस में पात्रता की शर्तों का उल्लेख है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि आयोग उम्मीदवार द्वारा आवेदन-प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन के संबंध में कोई भी पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। अत: वे आवेदन-प्रपत्र को अपने हाथ से स्याही से या बाल प्वाइन्ट पेन से ठीक-ठीक भरते समय विशेष सावधानी बरतें।

उम्मीदवार यह अवश्य ध्यान रखें कि उन्हें आवेदन-प्रपत्र को भरने में केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग करना है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। वे इस बारे में विशेष सावधानी बरतें कि आवेदन-प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य हों। यदि वे प्रविष्टियां पढ़ी नहीं जा सकती हैं या भ्रामक हैं तो उनके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे। संशोधन, यदि कोई हो, स्पष्ट होने चाहिए तथा उम्मीदवार द्वारा अनुप्रमाणित होने चाहिए।

5. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन-प्रपत्र के कालम 10(क) में उन सेवाओं/पदों को स्पष्ट रूप से लिख दें जिनके लिए वे वरीयताक्रम में विचारण चाहते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जितनी चाहें उतनी वरीयताओं का उल्लेख कर दें ताकि योग्यताक्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

**टिप्पणी 1 :** रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी के पद के उम्मीदवारों को आवेदन-प्रपत्र के कालम 10(ख) में अपना विकल्प भी देना होगा किन्तु उन्हें यह वरीयताक्रम पांच से अधिक जोनल रेलवे का नहीं देना चाहिये। विभिन्न जोनल रेलवे में उनका आवंटन करते समय इन वरीयताओं पर भी ध्यान दिया जायेगा लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि **उम्मीदवार का केवल इनमें से किसी एक रेलवे में ही आवंटन किया जायेगा। चूंकि यह सेवा सारे देश के लिए होती है इसलिए उम्मीदवार को भारतीय रेलवे के किसी भी जोन में स्थानान्तरित किया जा सकता है।**

**टिप्पणी 2 :** आयोग उम्मीदवार को अपने आवेदन-प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में कुछ भी जोड़ने/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देगा।

6. उम्मीदवार द्वारा जो सूचना पहले की परीक्षा के आवेदन-प्रपत्र में दी गई थी, उनकी पड़ताल इस परीक्षा के आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचनाओं से की जाएगी। गंभीर विसंगतियां पाई जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7. उम्मीदवार आवेदन-प्रपत्र में दिए गए स्थान पर अपना हाल ही का पासपोर्ट आकार का एक फोटो चिपकाएं। फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा उस महाविद्यालय/संस्थान जहां उम्मीदवार सबसे बाद में अध्ययनरत रहा हो के प्राचार्य द्वारा विधिवत् सत्यापित हो।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हैं जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या नीचे उल्लिखित किए गए ऐसे अन्य अधिकारी जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पद नामित किया हो, नीचे दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र लेकर उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।

**(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*............................................................................. सुपुत्र/सुपुत्री* श्री............................................................ जो गांव/कस्बा*..............................................................................................

जिला/मंडल*.............................................. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..............................के/की* निवासी है ..............................................जाति/जनजाति* के/की* है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है :—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950@

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950@

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951@

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951@

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (संशोधन) आदेश, 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987.]

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956@

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

## COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION, 2010

## INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE APPLICATION FORM

1. The candidates should read these instructions carefully before filling in the application form.

2. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110069 on or before the date specified in the forwarding letter.

3. The envelope containing the application should be superscribed as **'Application for Combined Medical Services' Examination, 2010.** Application can also be delivered at Union Public Service Commission counter by hand. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

4. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 5th September, 2009 (copy enclosed.). They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly in their own hand writing in ink or with ball point pen.

Candidates must use only International form of Indian numerals in filling in the application form, e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. They should take special care that the entries made in the application form should be clear and legible. In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof. Corrections, if any, should be legible and attested by the candidate.

5. Candidates are requested to specify clearly in column 10(a) of the application form the Services/Posts for which they wish to be considered in order of preference. They are advised to indicate as many preferences as they wish to so that having regard to the rank in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointment.

Note I : Candidates for the post of Asstt. Divisional Medical Officer in the Railways are also required to give their option in column 10(b) of the application form for not more than five Zonal Railways in order of preference. While making their allocation to the various Zonal Railways these preferences shall be taken into consideration but it does not mean that the candidate shall be allocated to one of these Railways only. As the service is meant to cover the entire country, a candidate is transferable to any zone of the Indian Railways.

Note II : No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission.

6. The information earlier given by candidates in the application form for the Examination will be cross-checked with the information given by them in this application form. If there are any serious discrepancies, their candidature will be cancelled.

7. The candidates should paste a recent passport size photograph duly attested by a gazetted officer/Principal of the College/Institution last attended in the space provided for it in the application form.

8. A candidate who claims to belong to any of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes should submit in support of his/her claim an attested/certified copy of the certificate in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the district in which his/her parents (or surviving parents) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.

**A. The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*...................... ...................... son/daughter* of ............................................ of village/town*............................................ in District/Division* ...................... of the State/Union Territory* ...................... belongs to the ......................... caste/tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@.

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951@.

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951@.

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman & Diu (Reorganisation) Act, 1987.] the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@.

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम, 1976 @ द्वारा यथा संशोधित

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962@

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962@

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964@

संविधान अनुसूचित जनजातियां (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@।

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970@।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978@।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978@।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989@।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधित) अधिनियम, 1990@।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम, 1991@।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (दूसरे संशोधन) अधिनियम 1991@।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम 2002@।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2002@।

संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (संशोधन) अधिनियम 2002@।

% 2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से किसी दूसरे में प्रव्रजन कर चुके हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*.................................. ग्राम/कस्बा*.................................. जिला/मंडल*.................................. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................. जो .................................. जाति/जनजाति* से सम्बद्ध है जिसे .................................. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है के पिता/माता* श्री/श्रीमती*.................................. की दिनांक .................................. के द्वारा को जारी प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी*.................................. और/या* उनका परिवार आम तौर पर/ से गांव/कस्बा*.................................. जिला/मंडल*.................................. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................. में रहते/रहती हैं।

हस्ताक्षर

**पदनाम

(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान ..................................

तारीख ..................................

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश निर्दिष्ट करें।

% जो पैरा लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी—यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणियों का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की सूची।

(1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/†सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर †(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट से कम रैंक का न हो)

(2) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।

(3) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(4) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

**(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म।**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.................................. सुपुत्र/सुपुत्री* श्री .................................. जो जिला/मंडल*.................................. के गांव/कस्बा*.................................. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.................................. के/की* निवासी हैं .................................. के समुदाय के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यताप्राप्त हैं :—

@भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग I, खण्ड 1, संख्या 186 में 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प सं० 12011/68/93-बी० सी० सी० (सी)।

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976. @

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.@

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.@

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.@

the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.@

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.@

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.@

the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.@

the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.@

the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.@

the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.@

the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.@

the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002@

the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2002@

the Constitution (Scheduled Castes) Order (Second Amendment) Act, 2002@

%2. Applicable in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe* certificate issued to Shri Shrimati*........................................ ......... Father/Mother of Shri/Shrimati/Kumari*.................................... of village town*.................................. in District Division*................. .......................................................... of the State/Union Territory*.......................................................... who belongs to the ........................................................................ caste/tribe*which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory* of.......................................................... issued by the........................................................... ..... dated.......................................................

%3. Shri/Shrimati/Kumari* ............................................... and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* .................................. of.................................. District/Division* of the State/Union Territory* of...............................................

Signature ...............................................

**Designation ..........................................

(With Seal of Office)

Place : .............................

Date : .............................

State/Union Territory*

*Please delete the words which are not applicable.

@Please quote specific Presidential Order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

Note : The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.

**(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.**

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*............ .................................... son/daughter* of........................................ village/town* ........................ in District/Division*....................... of the State/Union Territory*........................................ belongs to the ............................. Community which is recognised as a backward class under :

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC (C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I, Section-1, No. 186 dated the 13th September, 1993.

@भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग I, खण्ड 1 संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 के संकल्प सं० 12011/9/94-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग I, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 के संकल्प सं० 12011/7/95-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग I, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11-3-1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9-3-1996 का संकल्प सं० 12011/96/94-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1 संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं० 12011/44/96-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1 संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं० 12011/13/97-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1 संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं० 12011/99/94-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1 संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं० 12011/68/98-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1 संख्या 270 में दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं० 12011/88/98-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं० 12011/36/99-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं० 12011/44/99-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 का संकल्प सं० 12015/9/2000-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं० 12011/1/2002-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं० 12011/4/2002-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं० 12011/9/2004-बी० सी० सी०।

@भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग I, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं० 12011/14/2004-बी० सी० सी०।

श्री/श्रीमती/कुमारी*.......................................और/या* उनका परिवार सामान्यतया जिला/मण्डल*.................. के गांव/कस्बा* ................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में निवास करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह* कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 8-9-1993 के का०ज्ञा० सं० 36012/22/93 स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 9-3-2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36033/3/2004 स्था० (आरक्षण) और दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36033/3/2004 स्था० आरक्षण की अनुसूची के कालम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग अर्थात् क्रीमी लेयर) से सम्बन्धित नहीं है।

हस्ताक्षर ........................

**पदनाम ......................

(कार्यालय की मोहर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान : ....................

दिनांक : ....................

**टिप्पणी :**—यहां "आमतौर से रहते/रहती है" का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपल एक्ट, 1950 की धारा 20 में है।

*जो शब्द लागू न हो उन्हें काट दें।

** अन्य पिछड़ी श्रेणियों का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी वही होंगे जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं।

@जो पैरा लागू न हों उसे काट दें।

**टिप्पणी 1 :**—अन्य पिछड़ी श्रेणियों का दावा करने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उनके प्रमाण-पत्र में उल्लिखित उनकी जाति का नाम (उसकी वर्तनी सहित) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित नाम के अनुरूप हो। जाति के नाम में भिन्नता पाये जाने वाले प्रमाण-पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**टिप्पणी 2 :**—उम्मीदवार का अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने के दावे का निर्धारण जिस राज्य (या राज्य के हिस्से) में उसके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा अत: जिस उम्मीदवार ने एक राज्य (या राज्य के हिस्से) से दूसरे राज्य में प्रव्रजन किया हो, उसे अन्य पिछड़े श्रेणी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जो उसे, उसके पिता के मूल रूप से संबंधित राज्य द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रदान किया गया हो।

**टिप्पणी 3 :**—आयोग सामान्यत: उम्मीदवार द्वारा पहले इस परीक्षा के अपने सरलीकृत आवेदन पत्र में दर्शायी जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

9. उम्मीदवारों को एक ऐसे प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिए। जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि "रोजगार समाचार" दिनांक 5 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा के नोटिस के पैरा 3(iii) में और भारत के राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा की नियमावली के नियम 6 में प्रकाशित निर्धारित शैक्षिक योग्यता उसके पास है। भेजा गया प्रमाण-पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य किसी परीक्षा निकाय) का होना चाहिए जिसने उसे योग्यता विशेष प्रदान की है।

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 163 dated 20-10-1994.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 88 dated 25-5-1995.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 60 dated 11th March, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated 11-12-1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 236 dated the 12th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated the 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-I, Section-1, No. 239 dated the 17th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 241 dated the 27th October, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 270 dated the 6th December, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 71 dated the 4th April, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 246 dated the 6th September, 2001.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 151 dated the 20th June, 2003.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13th January, 2004.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 10 dated the 16th January, 2006.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 67 dated the 12th March, 2007.

Shri/Shrimati/Kumari*........................................................ and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/ town*............................................... of District/Division* of the ................................................... State/Union Territory* of ............................................... This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt(SCT) dated 8-9-1993 O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 14th October, 2008.

Signature...............................

**Designation...........................

(with seal of office) State/U.T.*

Place...................................................

Date....................................................

**Note :** The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

*Please delete the words which are not applicable.

**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Castes/Scheduled Tribes certificates.

@Strike out whichever is not applicable.

**Note 1 :** Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

**Note 2 :** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his/her father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.

**Note 3 :** No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for this examination will ordinarily be allowed by the Commission.

9. A candidate must submit alongwith this form an attested/certified copy of the certificate showing his educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice for the Examination published in the Employment News dated 5th September, 2009 and in Rule 6 of the rules for the Examination published in the Gazette of India dated 5th September, 2009. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.

10. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र की जिसमें जन्म की तारीख बताई गई है, अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति अपने आवेदन के साथ भेजनी चाहिए। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रीकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से तथा सेवा अभिलेख से जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा ऐसे ही अन्य प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित है।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या/और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां से उसने मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उसे संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

**टिप्पणी 1 :—** जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र हो उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए।

**टिप्पणी 2 :—** उम्मीदवार यह ध्यान रखे कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

**टिप्पणी 3 :—** उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद किसी भी आधार पर उसमें बाद में या किसी बाद की परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. (1) जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अधिवासी के रूप में आयु में छूट के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवार को उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसके क्षेत्राधिकार में वह सामान्यत: रहा है या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसके स्थान पर नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी कि पहली जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक की अवधि के दौरान वह सामान्यत: जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ही रहा है।

(2) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक पुन:स्थापना, रक्षा मंत्रालय से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेकर इसकी एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणाम-स्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म निम्न है :—

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट..........................................
के रैंक से ..........................................................................
श्री ..................................................................................
रक्षा सेवाओं में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई* के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर ..............................
पदनाम ..............................

दिनांक ........................

*जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें।

(3) आयु में छूट का दावा करने वाले ई. सी. ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशंड अधिकारी जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बद्ध प्राधिकारियों से लेकर नीचे निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

**(क) निर्मुक्त/सेवा निवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का प्रारूप**

प्रमाणित किया जाता है कि सं० .................. रैंक ...........
नाम ........................................................ जिनकी जन्म तिथि
.................. से .................. तक सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी करते हैं :—

(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर रिहा हुए हों अन्यथा कदाचार या कार्य अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों।

(ख) सैन्य सेवा शारीरिक अक्षमता अथवा .............................. की विकलांगता के कारण रिहा हुए हों।

स्थान : ..............................

तारीख : ..........................

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम

मोहर

10. A candidate must enclose with his/her application an attested/certified copy of certificate of age (including his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may submit, an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination certificate in this part of the instruction includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases, a candidate must send in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination certificate an attested/certified copy of the certificate from the Headmaster/Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination, showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

Note 1 : A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED SUBMIT AN ATTESTED/CERTIFIED COPY OF THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE ONLY.

Note 2 : CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION / HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

Note 3 : CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT ONCE DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN THE RECORDS OF THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL BE ALLOWED SUBSEQUENTLY OR AT A SUBSEQUENT EXAMINATION ON ANY GROUND WHATSOEVER.

1307 UPSC/10-2

11 (i) A candidate claiming age-relaxation as a domicile of the State of Jammu and Kashmir should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate within whose jurisdiction he/she had ordinarily resided or from any other authority designated in that behalf by the Government of Jammu and Kashmir to the effect that he/she had ordinarily been domiciled in the State of Jummu and Kashmir during the period from the 1st January, 1980 to the 31st day of December, 1989.

(ii) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should produce an attested/certified copy of the certificate in the form prescribed below from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate is :—

Certified that Rank No. .................................. Shri............ ................................................... of Unit .................................. was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature..................................

Designation...............................

Date...............................

*Strike out whichever is not applicable.

(iii) Ex-servicemen including the Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should produce an attested/certified copy of the certificate as applicable to them, in the form prescribed below from the authorities concerned.

**(A) Form of certificate applicable for Released/Retired personnel.**

It is certified that No.............................. Rank....................... Name..............................................................whose date of birth is......................... has rendered service from.......................... to.................................. in Army/Navy/Air Force and he fulfils ONE of the following conditions—

(a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

(b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on ...................................

Station : ..........................

Date : ............................

Name and Designation of the Competent Authority

SEAL

**(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म (उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर कार्यमुक्त किया जाना है)।**

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं० ............ रैंक ...................... नाम ...................... ........................ दिनांक ................. से सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवारत हैं और दिनांक ......................... को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं।

कमान अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय की मोहर

स्थान : ...........................

दिनांक : .........................

उक्त "ख" प्रमाण-पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित वचन देना होगा :—

**उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला वचन**

मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो यह नियुक्ति मेरे द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत रूप से निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूँ और यह कि समय-समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूँ।

स्थान : ...........................

दिनांक : .........................

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

**(ग) उन ई० सी० ओ०/एस० एस० सी० ओ० कार्मिक पर लागू होने वाला प्रारूप, जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारम्भिक नियुक्ति अवधि पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं।**

यह प्रमाणित किया जाता है कि सं० ............ रैंक ............ नाम ................................................ जिनकी जन्म तिथि ...................... है ...................... से सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवा कर रहे हैं।

2. उन्होंने पहले ही आरम्भिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और अब वे ........................ तक बढ़ाए गए कार्यकाल पर हैं।

3. उन्हें सिविल रोजगार में आवेदन-पत्र देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्हें सिविल रोजगार मिलने पर तीन माह के नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम

कार्यालय की मोहर

स्थान : ...........................

दिनांक : .........................

प्राधिकारी जो प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम है, निम्न प्रकार है :—

(क) ई०सी०ओ०/एस०एस०सी०ओ० सहित कमीशंड अधिकारियों के मामले में :—

थल सेना—मिलिटरी सचिव की शाखा, थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौ सेना—कार्मिक सेवा निदेशालय, (अधिकारी), नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना—कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ख) जे०सी०ओ०/ओ०आर० तथा नौ सेना तथा वायु सेना समकक्ष के मामले में :—

सेना—विभिन्न रेजीमेन्टल अभिलेख कार्यालयों द्वारा।

नौ सेना—बी०ए०बी०एस०, मुम्बई।

वायु सेना—वायु सेना अभिलेख एन०ई०आर० डब्ल्यू०, नई दिल्ली।

(4) वह उम्मीदवार जिसने शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण शुल्क में छूट और/या आयु-सीमा में छूट का दावा किया है, उसे नीचे दिए गए प्रारूप में चिकित्सा बोर्ड (केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा गठित) द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

**संस्थान/अस्पताल का नाम व पता**

प्रमाणपत्र सं. ............

दिनांक ..................

| चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित अक्षमता दर्शाने वाला उम्मीदवार का हाल का फोटोग्राफ |
|---|

**अक्षमता प्रमाणपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु० ...................... पुत्र/पत्नी/पुत्री/श्री ............................................ आयु ........ लिंग ......... पहचान चिन्ह (चिन्हों) .......................... निम्नलिखित श्रेणी की अक्षमता स्थायी रूप से है।

क. **चलने में असमर्थ या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात**

(i) बी एल (BL)—दोनों पैर प्रभावित परन्तु भुजाएं नहीं।

(ii) बी ए (BA)—दोनों भुजाएं प्रभावित (क) क्षीण पहुंच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) बी एल ए (BLA)—दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं प्रभावित

(iv) ओ एल (OL)—एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)
(क) क्षीण पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिक)

(v) ओ ए (OA)—एक भुजा प्रभावित
(क) क्षीण पहुंच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गतिविभ्रम (एटैक्सिक)

(vi) बी एच (BH)—सख्त पीठ या कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)

(vii) एम डब्ल्यू (MW)—मांस पेशीय दुर्बलता तथा सीमित शारीरिक सहन शक्ति

ख. **नेत्रहीनता या कम (क्षीण) दृष्टि**

(i) बी (B)—नेत्रहीन

(ii) पी बी (PB)—आंशिक रूप से नेत्रहीन

**(B) Form of certificate applicable for serving personnel (Applicable for serving personnel who are due to be released within one year).**

I hereby certify that, according to the information available with me No. ........................ Rank ........................... Name ................................................ is serving in the Army/ Navy/Air Force from ................................................ and is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the date ................................................

Place : ..........................  Signature of Commanding Officer

Date : ..........................  Office Seal

Candidates furnishing certificate B as above will have to give the following undertaking :—

**UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE CANDIDATE :**

I understand that, if selected on the basis of the Recruitment/Examination to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

Signature of Candidate

Station : ......................

Date : ..........................

**(C) Form of Certificate applicable for serving ECOs/ SSCOs who have already completed their initial assignment and are on extended assignment.**

It is certified that No. ....................... Rank ..................... Name ........................................................... whose date of birth is .............................. is serving in the Army/Navy/Air Force from ........................

2. He/She has already completed his/her initial assignment of five years on ........................ and is on extended assignment till ........................

3. There is no objection to his/her applying for civil employment and he/she will be released on three months notice on selection from the date of receipt of offer of appointment.

Name and Designation of the Competent Authority
SEAL

Station : ......................

Date : ............................

Authorities who are competent to issue certificate are as follows :—

(a) *In case of Commissioned Officers including ECOs/SSCOs.*

Army—Military Secretary Branch, Army Hqrs., New Delhi.

Navy—Directorate of Personnel, Naval Hqrs., New Delhi.

Air Force—Directorate of Personnel Officers, Air Hqrs., New Delhi.

(b) *In case of JCO/ORs and equivalent of the Navy and Air Force.*

Army—By various Regimental Record Officers.

Navy—BABS, Bombay.

Air Force—Air Force Records NERW, New Delhi.

(iv) A candidate who has claimed age relaxation and/or fee exemption on account of his being physically challenged must submit a certified copy of the certificate issued by a Medical Board duly constituted by the Central/State Government in the format given below :—

**NAME AND ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL**

Certificate No. ..............

Date ................................

| Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board. |
|---|

**DISABILITY CERTIFICATE**

This is certified that Shri/Smt./Kum. ............................... son/wife/daughter of Shri ................................ age .................. sex ..................... identification marks (s) ............. is suffering from permanent disability of following category:

A. **Locomotor or cerebral palsy:**

(i) BL—Both legs affected but not arms

(ii) BA—Both arms affected (a) Impaired reach
(b) Weakness of grip

(iii) BLA—Both legs and both arms affected

(iv) OL—One leg affected (right or left)
(a) Impaired reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic

(v) OA—One arm affected (a) Impaired reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic

(vi) BH—Stiff back and hips (cannot sit or stoop)

(vii) MW—Muscular weakness and limited physical endurance.

B. **Blindness or Low Vision :**

(i) B—Blind

(ii) PB—Partially Blind

**ग. श्रवणबाधित**

(i) डी (D)—बधिर

(ii) पी डी (PD)—आंशिक रूप से बधिर

(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें)

2. यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है। ............................ वर्ष .................. महीने की अवधि के बाद इस मामले की पुनर्मूल्यांकन की अनुशंसा की गई है/अनुशंसा नहीं की गई है।

3. उनके/उनकी मामले में अक्षमता की प्रतिशतता .................... प्रतिशत है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ............................... अपने दायित्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करते/करती हैं—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | एफ (F)—अंगुलियों को व्यवस्थित करके कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) | पीपी (PP)—खींचकर तथा धकेलकर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) | एल (L)—उठा कर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) | के सी (KC)—घुटने के बल पर बैठकर या क्राउचिंग द्वारा कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) | बी (B)—झुककर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) | एस (S)—बैठकर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) | एस टी (ST)—खड़े रह कर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) | डब्ल्यू (W)—चलकर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) | एस ई (SE)—देखकर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) | एच (H)—सुनकर/बोलकर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) | आर डब्ल्यू (RW)—पढ़ कर या लिख कर कार्य कर सकते हैं। | हाँ/नहीं |

| (डॉ ...............) | (डॉ ...............) | (डॉ ...............) |
|---|---|---|
| सदस्य | सदस्य | अध्यक्ष |
| चिकित्सा बोर्ड | चिकित्सा बोर्ड | चिकित्सा बोर्ड |

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/सी. एम. ओ./प्रमुख
द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर सहित)

(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें)

12. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2010 के लिए उनकी उम्मीदवारी पूर्णत: अनन्तिम है तथा उनके द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने के अधीन है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी भी स्तर पर सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

13. उम्मीदवारों को अपने आवेदन-प्रपत्रों के साथ निम्नलिखित प्रलेख अनुलग्न कर आयोग को भेजने हैं :—

(1) आयु के प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(2) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी श्रेणियों के होने का दावा करने के समर्थन में प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (जहां कहीं लागू हो)।

(4) आयु में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (जहां कहीं लागू हो) ।

(5) शारीरिक रूप से विक्लांग होने के दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की सत्यापित अनुप्रमाणित प्रति (जहां लागू हो)।

(6) 11.5 सें. मी. × 27.5 सें. मी. आकार के बिना टिकट लगे दो लिफाफे जिस पर अपना पता लिखा हुआ हो। उम्मीदवार, लिफाफे पर अपना पूरा डाक पता अर्थात् अपना नाम, मकान नम्बर, वार्ड नम्बर, मोहल्ला आदि स्पष्ट रूप से लिखें, ऐसे मामलों में जहां मकान नम्बर न हो, उम्मीदवार अपना पूरा नाम लिखने के बाद अपने पिता का नाम तथा डाक पता लिखें।

*उपर्युक्त प्रमाणपत्र मूल रूप में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।*

**टिप्पणी :—** उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन-प्रपत्र के साथ भेजे जाने वाले प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपियों पर अपने हस्ताक्षर करें तथा तारीख भी लिखें।

14. जिन मामलों में आवेदन-प्रपत्र सब अनुलग्नकों रहित या कुछ अनुलग्नकों सहित प्राप्त होंगे उनमें उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि आवेदन-प्रपत्र ठीक से भेजा गया है और उसके साथ सभी संगत अनुलग्नक भेजे गए हैं। आवेदन-प्रपत्र का कोई भी कालम खाली न छोड़ें।

15. उम्मीदवार अपने आवेदन के संबंध में आयोग को जो पत्र भेजें उनमें परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, सरलीकृत आवेदन-प्रपत्र की संख्या (आठ अंकीय) तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।

16. उम्मीदवार अपने आवेदन-प्रपत्र के विभिन्न कालमों में भरे जाने वाली कोड संख्याएं मार्गदर्शन संकेत (अनुबंध) में दी गई है। जहाँ कहीं भी सूचना कोड-संख्या में अपेक्षित है वहां वे उचित कोड-संख्या का उल्लेख करें ऐसे कालमों में कोड संख्या के अलावा दी गई सूचनाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

C. HEARING IMPAIRMENT:

(i) D–Deaf

(ii) PD–Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of ................................ years..................... months*.

3. Percentage of disability in his/her case is ........... percent.

4. Shri/Smt./Kum. .......................................... meets the following physical requirements for discharge of his/her duties :—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | F–Can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) | PP–Can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) | L–Can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) | KC–Can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) | B–Can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) | S–Can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) | ST–Can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) | W–Can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) | SE–Can perform work by seeing. | |
| (x) | H–Can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) | RW–Can perform work by reading and writing. | Yes/No |

| | | |
|---|---|---|
| (Dr. ...................) | (Dr. ...................) | (Dr. ...................) |
| Member<br>Medical Board | Member<br>Medical Board | Chairperson<br>Medical Board |

Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/Head of Hospital (with Seal)

(Delete whichever is not applicable)

12. The candidates should note that their candidature for the Combined Medical Services Examination, 2010 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfil any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

13. Enclosures to the application form to be sent to the Commission by the candidates are as follows :—

(i) An attested/certified copy of the certificate of age.

(ii) An attested/certified copy of the certificate of educational qualification.

(iii) An attested/certified copy of certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes (wherever applicable).

(iv) An attested/certified copy of certificate in support of claim for age concession, wherever applicable.

(v) An attested/certified copy of certificate in support of claim to belong physically handicapped (wherever applicable).

(vi) Two self addressed and unstamped envelopes of 11.5 × 27.5 cms. size. Candidate should write neatly his complete Postal Address i.e. his Name, House No., Ward No., Mohalla etc. on the envelopes. In case where House No. is not there, the candidate should write his own full name, followed by his father's name with postal address on the envelopes.

*Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview.*

**NOTE :**—Candidates are required to sign the attested/certified copies of all certificates sent along with the application form and also to put the date.

14. Any application received without all or some of the enclosures will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the application form is properly filled in and is accompanied by all the relevant enclosures. No column of the application should be left blank.

15. In all communications with the Commission regarding his/her application, the candidate should mention the name of the Examination, his full name, Roll Number, Form Number (8 digits) of simplified OMR/ICR application form and date of birth.

16. Code Numbers to be filled in by the candidates in various columns of the application form are given in the Guidelines (Annexure). Wherever information is required to be given in Code Nos., Appropriate Code Nos. may be filled in. Information given in such columns otherwise than in codes will not be taken into consideration.

अनुबन्ध

## आवेदन प्रपत्र भरने के लिए मार्ग दर्शक संकेत

(क) आवेदन-प्रपत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई भी कालम खाली न छोड़ा जाए। यदि आपके मामले में कोई कालम लागू न हो तो "लागू नहीं" या "नहीं" लिखिए।

(ख) आवेदन-प्रपत्र को उम्मीदवार अपने हाथ से स्याही या बाल प्वांइट पेन से भरें। यदि कोई शुद्धियां की जाएं तो वे सुपाठ्य तथा उम्मीदवार द्वारा अनुप्रमाणित हों।

(ग) उम्मीदवार आवेदन-प्रपत्र को भरने और कोड नम्बर लिखने में केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का ही प्रयोग करें जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आदि। केवल उन्हीं कोड नम्बरों पर विचार किया जाएगा जो इस प्रकार भरे होंगे। किसी अन्य विवरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन-प्रपत्र भरते समय निम्नलिखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें क्योंकि इन्हें संगणक विधि द्वारा साधित किए जाने के लिए अभिकल्पित किया गया है और अधिकांश सूचना कोड फार्म में देनी होती है। सही कोड देने में अत्यन्त सावधान रहना चाहिए। जब कभी एक या दो बाक्स जैसे ☐ है, उत्तर के लिए दिए गए हों, तो सावधानी रखनी चाहिए कि एक से अधिक अंक एक बाक्स में अंकित न किए जाएं। अगर कोड को दो या दो से अधिक अंकों से लिखा जाता है तो उतने ही बाक्स दिए जाते हैं। जब किसी कोड में 01 अथवा 02 जैसा अंक हो अर्थात् बायीं ओर '0' हो तो कोड का अंकन '0' के बिना नहीं करना चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है :—

| | 1 | | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| गलत | | | सही | |

**आवेदन-प्रपत्र के विभिन्न कालमों से सम्बद्ध कोड के स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :—**

**कालम 8 (क) : नागरिकता स्थिति**

| कोड | विवरण |
|---|---|
| 01 | भारत का नागरिक |
| 02 | नेपाल की प्रजा |
| 03 | भूटान की प्रजा |
| 04 | भारत में स्थाई रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी। |
| 05 | भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी या पूर्वी देश कीनिया, उगांडा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, मालवी, जैरे और इथोपिया तथा वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो। |

**कालम 8 (ख) : अधिवास स्थिति**

| कोड | राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र | कोड | राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 01 | आंध्र प्रदेश | 19 | नागालैंड |
| 02 | अरूणाचल प्रदेश | 20 | उड़ीसा |
| 03 | असम | 21 | पंजाब |
| 04 | बिहार | 22 | राजस्थान |
| 05 | छत्तीसगढ़ | 23 | सिक्किम |
| 06 | गोवा | 24 | तमिलनाडु |
| 07 | गुजरात | 25 | त्रिपुरा |
| 08 | हरियाणा | 26 | उत्तराखंड |
| 09 | हिमाचल प्रदेश | 27 | उत्तर प्रदेश |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 28 | पश्चिम बंगाल |
| 11 | झारखण्ड | 29 | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह |
| 12 | कर्नाटक | 30 | चंडीगढ़ |
| 13 | केरल | 31 | दादरा और नागर हवेली |
| 14 | मध्य प्रदेश | 32 | दमन और दीव |
| 15 | महाराष्ट्र | 33 | दिल्ली |
| 16 | मणिपुर | 34 | लक्षद्वीप |
| 17 | मेघालय | 35 | पुडुचेरी |
| 18 | मिजोरम | | |

**Column 10(a) :** SERVICE/POST

| Code | Service/Post |
|---|---|
| 1. | Assistant Divisional Medical Officer in the Railways |
| 2. | Assistant Medical Officer in Indian Ordnance Factories Health Service |
| 3. | Junior Scale Posts in Central Health Service |
| 4. | Medical Officers in the Municipal Corporation of Delhi |
| 5. | General Duty Medical Officer in New Delhi Municipal Council |

**Column 10(b) :** PREFERENCES FOR VARIOUS ZONAL RAILWAYS

| | Zonal Railways | Headquarters | Code |
|---|---|---|---|
| 1. | Central Railway | Mumbai | 01 |
| 2. | Eastern Railway | Kolkata | 02 |
| 3. | East Central Railway | Hajipur | 03 |
| 4. | East Coast Railway | Bhubaneshwar | 04 |
| 5. | Northern Railway | Baroda House, New Delhi | 05 |
| 6. | North Central Railway | Allahabad | 06 |
| 7. | North Eastern Railway | Gorakhpur | 07 |
| 8. | Northeast Frontier Railway | Guwahati | 08 |
| 9. | North Western Railway | Jaipur | 09 |
| 10. | Southern Railway | Chennai | 10 |
| 11. | South Central Railway | Secunderabad | 11 |
| 12. | South Eastern Railway | Kolkata | 12 |
| 13. | South East Central Railway | Bilaspur | 13 |
| 14. | South Western Railway | Hubli | 14 |
| 15. | Western Railway | Mumbai | 15 |
| 16. | West Central Railway | Jabalpur | 16 |

# संघ लोक सेवा आयोग
# UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
## विस्तृत आवेदन प्रपत्र
## DETAILED APPLICATION FORM
## सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2010
## COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION, 2010

यहां अपना हाल ही का पासपोर्ट आकार (लगभग 4 से.मी.×5 से.मी.) का एक फोटो ठीक प्रकार से चिपकाइए। फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा उस महाविद्यालय/ संस्थान जहां उम्मीदवार सबसे बाद में अध्ययनरत रहा हो के प्राचार्य द्वारा विधिवत् सत्यापित हो।
PASTE HERE FIRMLY A COPY OF YOUR RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH (approx. 4cm × 5 cm) DULY ATTESTED BY A GAZETTED OFFICER/PRINCIPAL OF COLLEGE/ INSTITUTION LAST ATTENDED

अनुक्रमांक
Roll Number | | | | | | |

---

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
(जैसा मैट्रीकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा-प्रमाण-पत्र में लिखा गया हो)
Name (as recorded in Matriculation/Higher Secondary or equivalent Examination Certificate in BLOCK CAPITALS) ____________________

नोट : जो उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र हिन्दी में भरें वह अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भी अपना नाम लिख दें। ____________________

Note: Candidates filling application form in Hindi should repeat Name in English BLOCK CAPITALS also.

2. (क) पत्राचार का पता (उम्मीदवार के नाम सहित) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में जिस पर पत्र भेजा जाए। ____________________
(कृपया यथासंभव संक्षेप में लिखें) ____________________

(a) Address for correspondence (including candidate's name) in English BLOCK CAPITALS to which communication is to be sent. पिन PIN | | | | | | |
(Please use abbreviations to the extent possible)

(ख) दूरभाष संख्या (यदि हो), एस.टी.डी. कोड सहित ____________________
(b) Telephone No. (If any) with STD Code. ____________________

(ग) फैक्स संख्या (यदि हो) ____________________
(c) Fax No. (if any) ____________________

(घ) ई-मेल पता (यदि हो) ____________________
(d) E-mail address (if any) ____________________

(ङ) डाक का स्थाई पता (यदि कोई हो) (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) पिन PIN | | | | | | |
(e) Permanent Postal Address (if any) (in BLOCK CAPITALS in English).

(च) यदि आप असम/मेघालय/अरुणाचल प्रदेश/मिजोरम/मणिपुर/ नागालैंड/ त्रिपुरा/सिक्किम/जम्मू तथा कश्मीर/हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चम्बा जिले के पांगी उपमण्डल/अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह/लक्षद्वीप के उम्मीदवार हों तो उस इलाके या क्षेत्र के नाम अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर का स्पष्ट उल्लेख करें जहां आप निवास करते हैं।

(f) If you are a candidate from Assam/Meghalaya/ Arunachal Pradesh/Mizoram/Manipur/Nagaland/ Tripura/Sikkim/ J & K/Lahul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh/Andaman and Nicobar Island/Lakshadweep indicate clearly the name of the area or region e.g. Assam, Meghalaya, J & K etc. where you are residing.

3. लिंग : लिखिए पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 2
Sex : Write 1 if male, 2 if female.

4. वैवाहिक स्थिति : लिखिए अविवाहित के लिए 1 और अन्य के लिए 2
Marital Status : Write 1 if unmarried, 2 for others

5. (क) जाति : लिखिए
अनुसूचित जाति ..........1
अनुसूचित जनजाति ..........2
अन्य पिछड़ी श्रेणियाँ (ओ०बी०सी०)....3
सामान्य वर्ग (अन्य) ..........4

(a) Community : Write
Scheduled Caste..........1
Scheduled Tribe..........2
Other Backward Classes ..........3
General Category (Others)........4

| जाति (शब्दों में) Community (In words) | कोड Code |
|---|---|
| | |

टिप्पणी 1 : अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवार जो 'सम्पन्न' वर्ग में आते हों, और इसके फलस्वरूप इन श्रेणियों को दिए गए आरक्षण के हकदार न हों, वे कृपया अपनी जातीय स्थिति बताते समय "सामान्य वर्ग (अन्य) कोड सं० 4 लिखें"।

NOTE 1 : Candidates belonging to OBCs but coming in the Creamy Layer and thus not being entitled to OBC reservation should indicate their Community as General Category (Others) Code No. 4.

टिप्पणी 2 : जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों में न आते हों उन्हें जाति के कालम में कोड संख्या 4 अन्य (सामान्य वर्ग) लिखना चाहिए और उसे खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

NOTE 2 : Candidates belonging to neither SC, ST nor OBC communities should write Code No. 4 (General Category) against the column for Community and not leave it blank.

टिप्पणी 3 : आयोग सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा पहले ही इस परीक्षा के अपने सरलीकृत आवेदन पत्र में दर्शायी स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा।

NOTE 3 : No change in the community status already indicated by a candidate in his/her simplified application form for the examination will ordinarily be allowed by the Commission.

(ख) यदि आप अनुसूचित जाति के हैं तो अपना धर्म लिखिए।
(b) State your religion if you belong to a Scheduled Caste.

6. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् के अनुसार) जो मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण-पत्र में अंकित है।
Date of Birth (in Christian Era) as recorded in Matric or equivalent examination certificate.

| D D | M M | Y Y Y Y |
|---|---|---|
| | | 1 9 |
| दिन Day | महीना Month | वर्ष Year |

7. क्या आपने आयु में छूट का दावा किया था : लिखिए 1 यदि हां, 2 यदि नहीं।
Whether you claimed Age Relaxation : Write 1 if 'Yes', 2 if 'No'

नोटिस की जिस/जिन धारा(ओं) के अन्तर्गत आपने आयु में छूट का दावा किया था उसका/उनका उल्लेख कीजिए। अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रमाण संलग्न कीजिए।
Write the clause(s) of the Notice under which you had claimed age relaxation, enclose documentary evidence in support of your claim.

8. निवास स्थान की स्थिति :
Residence Status :

(क) नागरिकता कोड लिखिए (निर्देश में दिए गए 'मार्गदर्शक' संकेत देखें)
(a) Citizenship Code (Please refer to 'Guidelines' enclosed to Instructions)

(ख) अधिवास स्थिति का कोड लिखिए (निर्देश में दिए गए 'मार्गदर्शक' संकेत देखें)
(b) Write State of Domicile Code (Please refer to 'Guidelines' enclosed to Instructions)

(ग) जन्म का स्थान
(c) Place of Birth
कस्बा/गांव/Town/Village* ____________________
जिला/District ____________________
राज्य/State ____________________
*जो लागू न हो उसे काट दें/*Strike off whichever is not applicable

9. (क) शैक्षिक योग्यताएं : मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा से प्रारम्भ करते हुए :
(a) Educational Qualifications : Commencing with Matriculation or Equivalent Examinations :

| परीक्षा Examination | डिवीजन Division | प्रतिशत अंक % Marks | उत्तीर्ण होने का वर्ष Year of passing | विषय Subjects | स्कूल/कॉलेज School/College | बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था Board/University/ Institution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(ख) क्या एम.बी.बी.एस. परीक्षा के लिखित तथा व्यावहारिक भाग पास कर लिए हैं।
लिखिये : 1 यदि हां, 2 यदि नहीं

(b) Whether passed written and practical parts of final M.B.B.S. Examination.
Write : 1 if Yes,
2 if No

☐

(ग) अन्तिम एम.बी.बी.एस. परीक्षा के लिखित तथा व्यावहारिक भागों को पास करने की तारीख (कृपया प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)।

(c) Date of passing written and practical parts of final M.B.B.S. Examination (please enclose copy of the certificate).

| D D | M M | Y Y Y Y |
|---|---|---|
| ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ |
| दिन<br>Day | महीना<br>Month | वर्ष<br>Year |

(घ) अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप
लिखिये : 1 यदि पहले ही पूरी कर ली है
2 यदि अभी पूरी करनी है

(d) Compulsory Rotating internship
Write : 1 if already completed
2 if yet to be completed

☐

(ङ) अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप के समापन की वास्तविक/प्रत्याशित तारीख

(e) Actual/Anticipated date of completion of Compulsory Rotating internship

| D D | M M | Y Y Y Y |
|---|---|---|
| ☐☐ | ☐☐ | ☐☐☐☐ |
| दिन<br>Day | महीना<br>Month | वर्ष<br>Year |

---

10. (क) पद जिस (जिन) पर आप वरीयता क्रम में विचार किये जाने के इच्छुक हैं [जैसा कि मार्ग दर्शक संकेत (अनुबंध) में निर्दिष्ट है सेवा/पद की उपयुक्त कोड संख्या वरीयता क्रम में सामने के बक्सों में लिखिये]।

(a) Post(s) for which you wish to be considered in the order of preference [write appropriate Code No. of the Service/Post as given in the Guidelines (Annexure) in the boxes opposite in order of your preference].

| | |
|---|---|
| ☐ | पहली वरीयता<br>First Preference |
| ☐ | दूसरी वरीयता<br>Second Preference |
| ☐ | तीसरी वरीयता<br>Third Preference |
| ☐ | चौथी वरीयता<br>Fourth Preference |
| ☐ | पांचवी वरीयता<br>Fifth Preference |

(ख) वरीयता क्रम में पांच जोनल रेलवे के नाम [जोनल रेलवे की उपयुक्त कोड संख्या जैसा कि मार्ग दर्शक संकेत (अनुबंध) में निर्दिष्ट है, सेवा/पद उपयुक्त वरीयता क्रम में सामने के बक्सों में लिखिये]।

(b) Names of five Zonal Railways in the order of preference [write appropriate Code No. of the Zonal Railways as given in the Guidelines (Annexure) in the boxes opposite in the order of preference].

| | |
|---|---|
| ☐ | पहली वरीयता<br>First Preference |
| ☐ | दूसरी वरीयता<br>Second Preference |
| ☐ | तीसरी वरीयता<br>Third Preference |
| ☐ | चौथी वरीयता<br>Fourth Preference |
| ☐ | पांचवी वरीयता<br>Fifth Preference |

टिप्पणी: यदि आप 10(क) के उत्तर में कुछ पद सम्मिलित नहीं करते हैं तो यह मान लिया जायेगा कि उन पदों के लिए आपकी वरीयता समान है।

Note : In case you do not include certain post(s) in answer to Col. 10(a) it will be assumed that you have equal preference for these posts.

11. रोजगार :
Employment :

(क) वर्तमान रोजगार :
केन्द्र सरकार सेवा—1, राज्य सरकार सेवा—2, अन्य—3

(a) Present Employment :
Central Government Service—1, State Government Service—2, Others—3

(ख) तारीखवार विवरण :

(b) Details in chronological order :

| धारित पद Post held | संगठन Organisation | से From | तक To | वेतनमान Pay Scale | स्थाई/स्थायीवत/अस्थाई/तदर्थ Permanent/QP/Temporary/ Ad hoc |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

12. भाषाएं जो आप जानते हैं :
Languages known :

| | भाषा Language | बोल सकते हैं* Speak* | पढ़/लिख सकते हैं* Read/Write* | अनुवाद कर सकते हैं Can translate into | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्तर* Level* | भाषा का नाम Name of Language |
| मातृभाषा Mother Tongue | | | | | |
| स्कूल में शिक्षा का माध्यम Medium of Instruction in School | | | | | |
| अन्य भाषाएं Other Languages | | | | | |

*लिखिए : 1 यदि धारा प्रवाह ज्ञान हो, 2 यदि अन्यथा हो।
*Write : 1 if fluent, 2 if otherwise.

13. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित/आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/भर्ती के लिए अन्य आवेदनों का ब्यौरा :
Details of other applications for Examinations/Recruitment held/to be held by UPSC :

| परीक्षा/पद का नाम<br>Name of Examination/Post | उक्त पद की परीक्षा/ साक्षात्कार की तारीख<br>Date of Examination/ Interview of Post | अनुक्रमांक<br>Roll No. | क्या आप उक्त पद की परीक्षा में बैठे/साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए<br>Whether you appeared in the Examination/ interview for Post | क्या आपको नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था<br>Whether you were recommended for appointment |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

14. क्या आपने शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार होने के कारण आयु/शुल्क में छूट का दावा किया था? लिखिये हां या नहीं। (यदि हां, तो अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कीजिए)।
(उम्मीदवारों के लिए निर्देश का पैरा [11 (iv) देखें।]
Had you claimed age relaxation/fee exemption as physically challenged candidate? Write Yes or No (If yes, enclose a copy of prescribed certificate in support of your claim) [c.f. para 11(iv) of instructions to candidates].

(i) ☐ आयु में छूट Age-relaxation

(ii) ☐ शुल्क में छूट Fee-exemption

15. अपवर्जन :
यदि आप किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उनकी परीक्षाओं/चयनों से अपवर्जित किए गए हों या सेवा से बर्खास्त किए गए/हटाए गए हों तो लिखिए 1 यदि "हां" 2 यदि "नहीं"।
Debarment : Write 1 if 'Yes' 2 if 'No' in case you have ever been debarred by a Public Service Commission/ Staff Selection Commission from appearing at their Examinations/Selections or dismissed/removed from service.

☐

यदि "हां" तो विवरण दीजिए
If 'Yes' give details . . . . . . . ______

16. (क) पिता का नाम
(a) Name of Father ______

(ख) माता का नाम
(b) Name of Mother ______

(ग) पिता की राष्ट्रीयता
(c) Nationality of Father ______

(घ) माता की राष्ट्रीयता

(d) Nationality of Mother ______________________

(ङ) पिता का वर्तमान पता
(यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता दें)

(e) Father's present postal Address
(If deceased give last address) ______________________

(च) माता का वर्तमान पता
(यदि मृत्यु हो चुकी हो तो अन्तिम पता दें)

(f) Mother's present postal Address
(If deceased give last address) ______________________

(छ) पिता का व्यवसाय :

(g) Father's Profession : ______________________

(ज) माता का व्यवसाय :

(h) Mother's Profession : ______________________

(झ) यदि आपके पिता नौकरी कर रहे हैं तो वे जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उसका उल्लेख कीजिए (यदि वे सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उस पद का उल्लेख कीजिए जिस पद पर वे सेवानिवृत्ति के समय कार्य कर रहे थे)।

(i) If your father is in service, indicate the post held by him (if retired, indicate the post held by him at the time of his retirement) ______________________

(ञ) यदि आपकी माता नौकरी कर रही हैं तो वे जिस पद पर कार्य कर रही हैं उसका उल्लेख कीजिए (यदि वे सेवानिवृत्त हो गई हैं तो उस पद का उल्लेख कीजिए जिस पद पर वे सेवानिवृत्ति के समय कार्य कर रही थीं)।

(j) If your Mother is in service, indicate the post held by her (if retired, indicate the post held by her at the time of her retirement) ______________________

(ट) पिता की वार्षिक आय

(k) Annual income of your Father ______________________

(ठ) माता की वार्षिक आय

(l) Annual income of your Mother ______________________

(ड) जिला तथा राज्य जहां से आपके पिता मूलतः सम्बद्ध हैं।

(m) District and State to which your Father originally belongs

जिला
District..................................... राज्य
State.............................

(ढ) जिला तथा राज्य जहां से आपकी माता मूलतः सम्बद्ध हैं।

(n) District and State to which your Mother originally belongs

जिला
District..................................... राज्य
State.............................

17. कृपया निम्न विवरण दें :—
Please give particulars of :

(क) विश्वविद्यालय या संस्था से जो पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि आपने प्राप्त की।

(a) Prizes, Medals, Scholarships, etc., won by you at the University or Institution. ____________________

(ख) स्कूल/कॉलेज जिनमें टीम/खेल/क्रीड़ाएं/बालचर/एन.सी.सी./अनुरोध सैर/पर्वतारोहण आदि में आपने भाग लिया।

(b) Team/Games/Sports/Boy Scouts/N.C.C./Hitch-hiking/Mountaineering, etc., in which you took part in School/College. ____________________

(ग) स्कूल/कालेज में जिन अधिकार युक्त पद (पदों) पर आप रहे।

(c) Position(s) of authority held by you in School/College. ____________________

(घ) अन्य पाठ्येत्तर कार्यकलाप तथा रुचियां (जैसे अभिरुचियां, चित्रकारी, संगीत तथा नृत्य आदि)

(d) Other extra-curricular activities and interests (such as hobbies, painting, music and dancing etc.) ____________________

(उम्मीदवार आवश्यकता पड़ने पर कागज का और पन्ना प्रयोग कर सकता है।)
(Candidates may use additional sheet of paper, if necessary).

18. अनुलग्नकों की सूची :
List of enclosures :

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

## उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली घोषणा
## DECLARATION TO BE SIGNED BY THE CANDIDATE

मैं, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए सभी विवरण/प्रविष्टियां सच्चे और सही हैं। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाए या परीक्षा के पहले या बाद में, अपात्रता का पता चलता है तो आयोग मेरे विरुद्ध भारत के राजपत्र दिनांक 5 सितम्बर, 2009 में प्रकाशित उक्त परीक्षा की नियमावली के नियम 11 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।

I, hereby declare that all statements/entries made in this application form are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the examination, action can be taken against me by the Commission under Rule 11 of the Rules of the examination published in the Gazette of India dated 5th September, 2009.

**उम्मीदवार के हस्ताक्षर

**Signature of Candidate..................................

स्थान

Place ................................................

तारीख

Date................................................

**जिस आवेदन प्रपत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर नहीं होंगे उसे अस्वीकृत किया जा सकता है।

**Application form not signed by candidate is liable to be rejected.

MGIPRRND—1307 UPSC/2010—3000 Copies

# UNION PUBLIC SERVICE COMMISION

SUMMARY

[TO BE FILLED IN BY CANDIDATES]

[FOR OFFICE USE ONLY]

| | |
|---|---|
| DATE | |
| SESSION | |

| | |
|---|---|
| ROLL NO | |

| | |
|---|---|
| NAME OF EXAMINATION | COMBINED MEDICAL SERVICES EXAMINATION, 2010 |
| NAME | |
| SERVICE/POST FOR WHICH ELEGIBLE AND OPTIONAL SUBJECTS | |
| DATE OF BIRTH | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACE OF BIRTH | TOWN / VIL LAGE | DISTRICT | STATE |
| | | | |

**EDUCATIONAL INSTITUTIONS ATTENDED**

| | |
|---|---|
| 10TH OR EQUIVALENT | |
| 12TH OR EQUIVALENT | |
| GRADUATION OR EQUIVALENT | |
| OTHERS (1) | |
| OTHERS(2) | |

**EXAMINATIONS PASSED [restrict to a maximum of 5 entries in the order of 10th, 12th, Graduation, etc.]**

| EXAMINATIONS | CLASS/DIV | YEAR | SUBJECTS TAKEN | BOARD / UNIVERSITY |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| PARTICULARS OF PRIZES, MEDALS, SCHOOL SCHOLARSHIPS ETC # | |
| TEAM GAMES/ SPORTS/NCC/HITCH-HIKING/MOUNTAINEERING ETC # | |
| POSITION(S) OF AUTHORITY HELD IN SCHOOL/COLLEGE# | |
| OTHER EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES AND INTEREST (SUCH AS HOBBIES, PAINTING, MUSIC, DANCING ETC) # | |

**EMPLOYMENT DETAILS [restrict to the last three positions held for a period of 3 months and above]**

| OFFICE WHERE WORKING | POST HELD | FROM | TO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Instructions for filling in**

i) All the fields/section except date and session are mandatory to be filled in by the candidates.
ii) Date and Session should not be filled by the candidates as it is meant for office purpose only.
iii) Fill in the sheet in **English CAPITAL /BLOCK letters** only using **black ball-point pen**.
iv) Candidates should **neither** sign this sheet nor indicate any excess or additional information.
v) please fill in the sheet carefully and error-free.